वेबसाईट शाखा

झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
चतुर्थ सत्र

वर्ग–04

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न गुरूवार,दिनांक– 26 अग्रहायण,1937 (श0) / 17 दिसम्बर, 2015 (ई0) को झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे:–

क.सं.	विभागों को भेजी गई सां.सं.	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
55–अ0सू0–05		श्री राधाकृष्ण किशोर	कृषि प्रक्षेत्र के योगदान में वृद्धि।	कृषि पशुपालन एवं सहकारिता	09.12.15
56–अ0सू0–43		श्री विकास कु0 मुंडा	पावरग्रिड चालू कराना।	ऊर्जा	12.12.15
57–अ0सू0–23		श्री दशरथ गागराई	विद्यालय का पुनः संचालन।	कल्याण	11.12.15
58–अ0सू0–33		श्री नलिन सोरेन	ट्रांसफरमर लगाना।	ऊर्जा	11.12.15
59–अ0सू0–22		श्री शशिभूषण सामाड़	विद्युतीकरण कराना।	ऊर्जा	11.12.15
60–अ0सू0–41		श्री प्रदीप यादव	पदाधिकारी के विरूद्ध	कृषि पशुपालन एवं सहकारिता	12.12.15
61–अ0सू0–10		श्री मनोज कु0 यादव	योजना की स्वीकृति।	जल संसाधन	11.12.15
62–अ0सू0–06		श्री शिवशंकर उराँव	सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	09.12.15
63–अ0सू0–35		श्री नलिन सोरेन	मोटर पाईप चालू कराना।	जल संसाधन	11.12.15
64–अ0सू0–49		श्री शिवशंकर उराँव	संस्थान का दायित्व।	कल्याण	12.12.15

क्र0पृ030/–

01	02	03	04	05	06
65-अ0सू0-25	श्री नागेन्द्र महतो		ट्रांसफरमर बदलना।	ऊर्जा	11.12.15
66-अ0सू0-28	श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता		राशन कार्ड बनाना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	11.12.15
67-अ0सू0-08	श्री फूलचन्द मंडल		सिंचाई सुविधा मुहैया कराना।	जल संसाधन	09.12.15
68-अ0सू0-38	श्री प्रदीप यादव		अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू कराना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	11.12.15
69-अ0सू0-51	श्री दीपक बिरूवा		लाभूकों को आच्छादित करना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	12.12.15
70-अ0सू0-01	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन		विद्युत सब स्टेशन का निर्माण।	ऊर्जा	09.12.15
71-अ0सू0-07	श्री प्रकाश राम		नया राशन कार्ड बनाना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	09.12.15
72-अ0सू0-30	श्री जयप्रकाश सिंह भोगता		भोल्टेज समस्या का निदान।	ऊर्जा	11.12.15
73-अ0सू0-56	श्री बिरंची नारायण		पदाधिकारी पर कार्रवाई।	जल संसाधन	12.12.15
74-अ0सू0-42	श्री अनन्त कुमार ओझा		सिंचाई सुविधा दिलाना।	जल संसाधन	12.12.15
75-अ0सू0-45	श्री विकास कुमार मुंडा		राशि में बढ़ोतरी।	कल्याण	12.12.15
76-अ0सू0-31	श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता		नियमित विद्युत आपूर्ति।	ऊर्जा	11.12.15
77-अ0सू0-11	श्री रामकुमार पाहन		अभियंता पर कार्रवाई।	ऊर्जा	11.12.15
78-अ0सू0-48	श्री बादल		विद्युतीकरण करना।	ऊर्जा	12.12.15
79-अ0सू0-15	श्री राम कुमार पाहन		अभियंता एवं संवेदक पर कार्रवाई।	जल संसाधन	11.12.15
80-अ0सू0-39	डॉ0 इरफान अंसारी		छात्रावास का निर्माण।	कल्याण	11.12.15
81-अ0सू0-02	श्री राधाकृष्ण किशोर		आयोग का गठन।	कल्याण	09.12.15
82-अ0सू0-18	श्री कुणाल षड़ंगी		सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करना।	जल संसाधन	11.12.15
83-अ0सू0-52	श्री डुलू महतो		मानदेय देना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	12.12.15

01	02	03	04	05	06
84-अ0सू0-37		श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	योजना कार्य का प्रारंभ।	जल संसाधन	11.12.15
85-अ0सू0-46		प्रो0 जयप्रकाश वर्मा	ट्रांसफरमर बदलना।	ऊर्जा	12.12.15
86-अ0सू0-26		श्री अरूप चटर्जी	उपस्करों की आपूर्ति।	ऊर्जा	11.12.15
87-अ0सू0-13		श्री निर्भय कु0 शाहाबादी	सिंचाई की व्यवस्था कराना।	जल संसाधन	11.12.15
88-अ0सू0-03		श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	गाँवों का विद्युतीकरण।	ऊर्जा	09.12.15
89-अ0सू0-44		श्री जयप्रकाश सिंह भोगता	भूमि का उपभोग।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	12.12.15
90-अ0सू0-21		श्री अरूप चटर्जी	नियमितीकरण करना।	कल्याण	11.12.15
91-अ0सू0-34		श्री जयप्रकाश भाई पटेल	गार्डवाल का निर्माण।	जल संसाधन	11.12.15
92-अ0सू0-16		श्री आलमगीर आलम	परीक्षा में शामिल करना।	कल्याण	11.12.15
93-अ0सू0-12		श्री योगेन्द्र प्रसाद	ग्रामीण दर पर बिजली बिल देना।	ऊर्जा	11.12.15
94-अ0सू0-09		श्री मनोज कु0 यादव	पावर स्टेशन का निर्माण।	ऊर्जा	11.12.15
95-अ0सू0-32		डॉ0 इरफान अंसारी	लाल कार्ड वितरण में सुधार।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	11.12.15
96-अ0सू0-14		श्री धम्पाई सोरेन	ट्रांसफरमर बदलना।	ऊर्जा	11.12.15
97-अ0सू0-47		श्री अशोक कुमार	विद्युत आपूर्ति कराना।	ऊर्जा	12.12.15
98-अ0सू0-24		श्रीमती गीता कोड़ा	बी0पी0एल0 सूची में शामिल करना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	11.12.15
99-अ0सू0-17		श्री राज सिन्हा	योजना का लाभ पहुँचाना।	कल्याण	11.12.15
100-अ0सू0-20		श्री आलमगीर आलम	अनियमितता दूर करना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	11.12.15
101-अ0सू0-04		श्री प्रकाश राम	कैनाल का निर्माण।	जल संसाधन	09.12.15
102-अ0सू0-36		श्री जानकी प्रसाद यादव	योजनाओं को चालू कराना।	जल संसाधन	11.12.15

01	02	03	04	05	06
103-अ०सू०-53		श्री दीपक बिरुवा	मंहगाई भत्ता में बढ़ोतरी।	ऊर्जा	12.12.15
104-अ०सू०-55		श्री विदेश सिंह	कार्य पूर्ण कराना।	ऊर्जा	12.12.15
105-अ०सू०-27		श्रीमती निर्मला देवी	नहर का पक्कीकरण।	जल संसाधन	11.12.15
106-अ०सू०-50		श्री ढुल्लू महतो	पीट वाटर की आपूर्ति।	जल संसाधन	12.12.15
107-अ०सू०-29		श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	ट्रांसफरमर बदलना और ग्रीड से जोड़ना।	ऊर्जा	11.12.15
108-अ०सू०-54		प्रो० स्टीफन मराण्डी	आदिवासियों के अस्तित्व की रक्षा।	कल्याण	12.12.15
109-अ०सू०-19		श्री कुणाल षाड़ंगी	जलस्रोतों का जीर्णोद्धार।	जल संसाधन	11.12.15
110-अ०सू०-40		श्री बिरंची नारायण	निरीक्षकों की नियुक्ति।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	11.12.15

राँची,
दिनांक-17 दिसम्बर,2015(ई0)

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न 06/2015....3008..../वि०स०,राँची,दिनांकः-..15..दिसम्बर,2015ई0

प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/मंत्रिगण/संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गुरूचरण सिंकु)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न 06/2015....3008..../वि०स०,राँची,दिनांकः-..15..दिसम्बर,2015ई0

प्रतिलिपिः-अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ सचिवीय कार्यालय झारखण्ड विधान सभा राँची को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय,अपर सचिव(प्रश्न) के सूचनार्थ प्रेषित।

(गुरूचरण सिंकु)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

राजेन्द्र/-

(55)

माननीय स0वि0स0, श्री राधाकृष्ण किशोर के द्वारा दिनांक-17.12.2015 को पूछा जानेवाला अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-5 का प्रश्नोत्तर।

उत्तरदाता:- माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग।

क्या मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-		
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश की कुल जनसंख्या की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, जबकि वर्ष 2014-15 में झारखण्ड राज्य का कुल सकल घरेलु उत्पाद में कृषि प्रक्षेत्र का योगदान मात्र 16.65 प्रतिशत था;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2011-12, 2012-13 की तुलना मे वर्ष 2014-15 में सकल घरेलु उत्पाद में कृषि प्रक्षेत्र के योगदान में क्रमशः 0.29 तथा 0.09 का ह्रास हुआ है;	स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि झारखण्ड राज्य के सकल घरेलु उत्पाद में कृषि प्रक्षेत्र के योगदान के वृद्धि हेतु कौन सी कार्रवाई करना चाहती है?	झारखण्ड राज्य के सकल घरेलु उत्पाद में कृषि क्षेत्र के वृद्धि हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना एवं राज्य योजनान्तर्गत विभिन्न प्रकार की योजना संचालित की जा रही है, जो निम्नांकित है:- 1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (धान, दलहन)। 2. पूर्वी भारत में हरित क्रांति के विस्तार की योजना। 3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। 4. फसलों के बीजों का अनुदान पर विनिमय एवं वितरण की योजना। 5. गन्ना विकास की योजना। 6. समेकित मोटे अनाज के विकास की योजना। 7. समेकित तिलहन विकास की योजना। 8. मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना। 9. नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की योजना।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-02/कृ0वि0स0-02/2015- 4421 कृ0,राँची,दिनांक- 16-12-15

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-2747 दिनांक-09.12.2015 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[signature] 16-12-15

(राम प्रसाद साय)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-03/कृ0वि0स0-02/2015- 4421 कृ0,राँची,दिनांक- 16-12-15

[illegible] एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री

(56)

श्री विकास कुमार मुण्डा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.15 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-43 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री विकास कुमार मुण्डा, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिले के तमाड़ में 132/33 के०वी० का पावरग्रिड विगत 2 वर्षो से निर्माणाधीन है;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पावरग्रिड का कार्य दिसम्बर, 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य विभाग द्वारा रखा गया है;	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार माह दिसम्बर, 2015 तक कार्य को पूरा कर ग्रिड को चालू कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों?	तमाड़ में निर्माणाधीन ग्रिड में स्थापित किये गये सभी उपकरणों का erection हो चुका है तथा संबंधित लिलो लाईन के निर्माण कार्य को तेजी से पूर्ण करने हेतु कार्यरत एजेन्सी द्वारा कार्रवाई की जा रही है ताकि ग्रिड को दिसम्बर, 2015 तक चालू कराया जा सके।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 3164 / दिनांक 16/12/15

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.12.15
सरकार के उप सचिव

(57)

श्री दशरथ गागराई, स० वि० स० द्वारा दिनांक–17.12.2015 को पुछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–23 का उत्तर सामग्री।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसांवा जिले के कुचाई प्रखण्ड स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय का संचालन विगत 1 वर्ष से बंद है;	अस्वीकारात्मक। सरायकेला–खरसांवा जिले के कुचाई प्रखण्ड में विभाग द्वारा एकलव्य आवासीय विद्यालय नहीं अपितु आश्रम विद्यालय संचालित है। इस विद्यालय का संचालन 01.05.2015 से बंद था।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय के संचालन हेतु निजी संस्थान का चयन हो गया है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय का संचालन पुनः करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	आश्रम विद्यालय, कुचाई, सरायकेला–खरसांवा का संचालन नवम्बर–2015 से पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार,
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–06/वि० स०–07/2015–क– 3650 राँची, दिनांक– 15/12/15

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–2809 दिनांक–11.12.2015 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15-12-15

(आभा कौशी)
सरकार के विशेष सचिव।

(58)

श्री नलिन सोरेन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.15 को पूछा जानेवाला

अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-33 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री नलिन सोरेन, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि दुमका जिला के प्रखंड काठीकुण्ड अन्तर्गत ग्राम–धनकुट्टा, चन्द्रपुरा पंचायत–आसन पहाड़ी, ग्राम– रानी पहाड़, छोटा फुलझंझरी, भलसुगीया–पंचायत–धावाडगांल, ग्राम–बड़ा काठीकुण्ड पंचायत–काठीकुण्ड, ग्राम– पहाड़पुर, भगडीहा पंचायत–कदमा, ग्राम–बड़ा चपुड़ीया, बड़ा भुईभंगा पंचायत–बड़ा चापुड़ीया, ग्राम–शहरी टोला, बांसतल्ली, लेदापातर, चरकापाथर पंचायत–पिपरा के ग्रामीण ट्रांसर्फमर जल जाने/ ट्रांसर्फमर नहीं लगने के कारण अंधेरे मे रहने को विवश है;	दुमका जिला के प्रखण्ड काठीकुण्ड अन्तर्गत ग्राम– चन्द्रपुरा, चरकापाथर एवं बड़तल्ली (झगड़ाडीह) में विद्युत आपूर्ति की जा रही है। शेष ग्राम मे 10/16 KVA के ट्रांसफार्मर जल जाने अथवा चोरी हो जाने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित है।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त गाँवों व पंचायतों में राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की गई थी, लेकिन ट्रांसफार्मर जल जाने/नहीं लगने के कारण विद्युत आपूर्ति बंद है ;	शेष गाँवों व पंचायतों में राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की गई थी। लेकिन ट्रांसफार्मर जल जाने अथवा चोरी हो जाने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति के लिए उपरोक्त गाँवों व पंचायतों में नया ट्रांसफार्मर लगाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	भारत सरकार की दीन दयाल योजना के अन्तर्गत 10 एवं 16 KVA के एक फेज़ ट्रांसफार्मर को 25 KVA के तीन फेज़ ट्रांसफार्मर से बदलने का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ योजना की स्वीकृति दी गई है। उक्त संशोधनों के साथ निविदा की प्रक्रिया जनवरी 2016 में प्रारम्भ करने का लक्ष्य है। अगस्त 2016 तक शेष गाँवों व पंचायतों में ट्रांसफार्मर बदल देने का लक्ष्य रखा गया है।

झारखण्ड सरकार,

ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 3160/ दिनांक 16/12/15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.12.15

सरकार के उप सचिव

(59)

श्री शशि भूषण सामाड़, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.15 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-22 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री शशि भूषण सामाड़, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर प्रखण्ड के जामीद पंचायत के बाराकाटा गाँव में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण अब तक नहीं हो पायी है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त गाँव में विद्युतीकरण नहीं होने से आम जन जीवन प्रभावित हो रही है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में बाराकाटा गाँव में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	ग्राम बाराकाटा का विद्युतीकरण राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत मेसर्स गेमन इण्डिया लि० द्वारा किया जा रहा है। गाँव में विद्युतीकरण हेतु एल०टी० लाईन का कार्य पूर्ण हो चुका है। 11 KV लाईन का विस्तार ग्राम सिकिदिकी के ग्रामीणों के विरोध के कारण 11 KV लाईन का पोल नहीं गाड़ा जा सका है। इस संबंध में स्थानीय जन प्रतिनिधि एवं प्रशासन के सहयोग से शीघ्र ही कार्य को पूरा करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 3162 / दिनांक 16/12/15

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.12.15
सरकार के उप सचिव

(60)

श्री दीप यादव, स०वि०स० द्वारा दिनांक-17.12.2015 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या-60-41 का उत्तर प्रतिवेदनः-

उत्तरदाताः- माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बागवानी मिशन के निदेशक 13 कार्यों की जांच 3-महीने के अन्दर पूरा करने का आदेश माननीय मुख्यमंत्री ने 10 जुलाई, 2015 को दिया था।	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि निदेशक के ऊपर पूर्व में जांच हुई और वह जांच में दोषी पाये गये थे।	तत्कालीन माननीय विभागीय मंत्री के आदेश के आलोक में तत्कालीन कृषि निदेशक के द्वारा राज्य बागवानी मिशन के अन्तर्गत जामताड़ा एवं देवघर जिले में कराये गये कार्यों की जाँच की गयी थी एवं जांच में अनियमितता प्रतिवेदित करते हुए कृषि निदेशक द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में अन्य जिलों में राज्य बागवानी मिशन के कार्यों की जाँच कराने की अनुशंसा की गयी। उक्त के आलोक में देवघर एवं जामताड़ा जिला सहित अन्य जिलों में राज्य बागवानी मिशन के तहत् कराये गये कार्यो की जाँच हेतु प्रमण्डलीय स्तर पर एक जाँच दल गठित किया गया। जाँच दलों द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में पलामू एवं लातेहार जिले में राज्य बागवानी मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में किये गये पौधा रोपण में मात्र 10-20 प्रतिशत जीवित पाये गये। गैप फिलिंग एवं रख-रखाव का कार्य सही तरीके से नहीं किया गया पाया गया है तथा देवघर जिले में योजनाओं में कतिपय अनियमितता उजागर हुई है। जहां-जहां पौधरोपण में गैप पाये गये हैं और जो निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं है वहां एक माह के भीतर निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप गैप फिलिंग करने तथा आवश्यक सुविधाएँ सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है, जिसका संधारण अनुश्रवण जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा करते हुए कार्य सुनिश्चित किया जायेगा। जहां बागवानी मिशन के अंतर्गत पौधे की जीवितता में कमी पायी गयी है वहां कार्यकारी गैर सरकारी संस्थाओं के विरूद्ध सर्टिफिकेट केस दायर करते हुए पौधरोपण राशि का आकलन कर राशि की वसूली की जायेगी। पलामू जिला में गैर सरकारी संस्थाओं के विरूद्ध राशि की वसूली हेतु सर्टिफिकेट केस दायर भी किया गया है। जांच प्रतिवेदन के संपूर्ण परीक्षण से यह स्पष्ट हुआ है कि मिशन निदेशक द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं का चयन मुख्यालय स्तर से किया गया है तथा उन्हें राशि का भुगतान भी निदेशालय स्तर से सीधे किया गया है, जिस कारण जिला स्तरीय पदाधिकारियों की इस कार्यक्रम में उचित सहभागिता सुनिश्चित नहीं हो सकी है। इस प्रकार मिशन निदेशालय एवं जिला उद्यान पदाधिकारियों के विरूद्ध बेहतर समन्वय के आभाव में कतिपय जिलों में पौधरोपण की जीवितता में कमी पायी गयी है। इस वित्तीय वर्ष में इस व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए जिला उद्यान पदाधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए योजनाओं का कार्यान्वयन किया जायेगा।
3	यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार भ्रष्ट पदाधिकारियों को अविलंब पद मुक्त करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	निदेशक, राज्य बागवानी मिशन के पद पर नियुक्ति हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

16.12.15

(राम प्रसाद साव)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-09/कृ0वि0स0अल्प-सूचित-81/2015 4420 /कृ0,राँची, दिनांक- 16-12-15

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-2894 दिनांक-12.12.2015 के प्रसंग में उत्तर 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.12.15
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-09/कृ0वि0स0अल्प-सूचित-81/2015 4420 /कृ0,राँची, दिनांक- 16-12-15

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रांची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.12.15
सरकार के संयुक्त सचिव

(61)

श्री मनोज कुमार यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-17.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०-10 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	अल्पसूचित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बरही प्रखंडाधीन ग्राम केदारूव्य के केवलिया आहर से केदारू एवं बनगाँवा के लिए सिंचाई योजना का प्राक्कलन विभाग में वर्षों से लम्बित है ;	स्वीकारात्मक। योजना के निर्माण हेतु प्राक्कलन मुख्य अभियंता के पत्रांक-286, दिनांक-06.03.2014 द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त योजना से दोनों गाँवों के किसानों को काफी लाभ मिलेगी ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त प्रश्नखंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त योजना की शीघ्र स्वीकृति कर निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	केवलिया आहर के उदवह सिंचाई योजना के संभाव्यता की जांच की जा रही है। संभाव्यता लाभ-लागत, बजटीय उपबंध एवं क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर योजना के कार्यान्वयन पर विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-6/ज०सं०वि०-10 अ०सू०-16/2015 6132 राँची, दिनांक- 16.12.15

प्रतिलिपि :-(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-2811, दिनांक-11.12.2015 के क्रम में 20 (बीस) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय कौके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(signature) 16/12/2015

उप सचिव(अभि०)
जल संसाधन विभाग, राँची।

D:\Data\My Documents\2015-16\Vidhan Sabha\Dec_15\6_19_A_16_13_Manoj Kr yadav.doc

(63)

श्री नलिन सोरेन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-17.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०-35 का उत्तर प्रतिवेदन:-

क्र०	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला के प्रखंड शिकारीपाड़ा अन्तर्गत ब्राहमणी नदी पर काठीकुण्ड प्रखंड के एरो नदी पर एवं रानेश्वर प्रखंड के मयुराक्षी नदी पर उदभव सिंचाई योजना के तहत किसानों को सिंचाई हेतु कुओं, मोटर पम्प सेट, पाईप लाईन का निर्माण कराया गया था ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त प्रखंडों में लगे सभी मोटर पम्प, पाईप इत्यादी खराब होने के कारण बंद पड़े है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त प्रखंडों के किसान पटवन व सिंचाई सुविधा से वंचित हो गये है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किसानो को पटवन/सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उपरोक्त प्रखंडों के खराब व बंद पड़े मोटर, पाईप इत्यादि चालू कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नही तो क्यों ?	राज्य में बंद पड़ी लिफ्ट इरिगेशन की योजनाओं का सर्वेक्षण कराकर उन्हें पुर्नजीवित करने की कार्य योजना तैयार की जायगी। तदोपरांत निधि की उपलब्धता तथा लाभुक समिति द्वारा रख-रखाव की जिम्मेवारी लेने, विशेषकर बिजली बिल का भुगतान करने, की सहमति देने पर चरणबद्ध तरीके से इन योजनाओं को आगामी वित्तीय वर्षो में चालू कराने की दिशा में कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-6/ज०सं०वि०-10 अ०सू०-23/2015 6139 राँची, दिनांक- 16.12.15

प्रतिलिपि :-(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-2846, दिनांक-11.12.15 के क्रम में 20 (बीस) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 16/12/15
उप सचिव(अभि०)
जल संसाधन विभाग, राँची।

D:\Dasti\My Documents\2015-16\Vidhan Sabha\Dec_15\6_10_A_23_15_N_S.doc

(64)

श्री शिव शंकर उराँव, स०वि०स० द्वारा से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–49 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि पदमश्री डा0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, जनजाति समाज के विभिन्न पहलुओं पर शोध एवं अध्ययन करक तदनुरुप विकास योजना बनाकर उनके विकास और कल्याण के लिए बनाया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य में अवस्थित उक्त राष्ट्रीय एवं लोक महत्व के संस्थान में पूर्ण कालिक निदेशक पद सहित कर्मधारियों, शोधकर्ताओं आदि के स्वीकृत पद लम्बे समय से रिक्त है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त संस्थान के लिए पर्याप्त बजट राशि का प्रावधान नहीं किये जाने तथा सरकारी उदासीनता के कारण निष्क्रिय हो चुका है ;	अस्वीकारात्मक। बजटीय उपबंध तथा संस्थान के मांग के अनुरुप राशि आवंटित की जाती है एवं संस्थान द्वारा 3 शोध अन्वेषक 1 उपनिदेशक एवं 1 संगणक कार्यरत है उनके द्वारा शोध का कार्य किया जा रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लोक महत्व के संस्थान को दायित्व निर्वाहन के योग्य बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	हाँ। संस्थान के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने का कार्य प्रक्रियाधीन है। इस वित्तीय वर्ष में रिक्त पदों को भर लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–3/वि०स०प्र०–06/15 3654 राँची, दिनांकः– 16/12/15

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2891 दिनांक–12.12.2015 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विजय कुमार) 16/12
सरकार के उप सचिव।

16/12/15

65

श्री नागेन्द्र महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.15 को पूछा जानेवाला

अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-25 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री नागेन्द्र महतो, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखण्ड अंतर्गत 28 पंचायत के 171 ग्रामीण इलाके में अभी भी 24 घण्टे में दो घण्टे बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि विगत दो वर्षों से बिरनी प्रखण्ड के पोखरिया, कुण्डाटांड पेशम, कारूपहाड़ चरघरा, नगड़ी इत्यादि गाँवों में 16 के.भी.ए. का ट्रांसफार्मर जल गया है;	स्वीकारात्मक है।
3. क्या यह बात सही है कि बिजली नहीं रहने के कारण स्थानीय जनता को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बिरनी प्रखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा जले हुए ट्रांसफार्मर बदलना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	DVC द्वारा दिसम्बर 2015 तक 33 KV गिरीडीह–जमुआ लाईन पूर्ण करने का लक्ष्य है। उक्त लाईन के पूर्ण होने से बिरनी प्रखण्ड में बिजली उपलब्धता मे गुणोत्तर वृद्धि हो सकेगी। इसके अतिरिक्त बिरनी प्रखण्ड के जले हुए 16 KVA ट्रांसफार्मरों को जनवरी 2016 तक उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मरों से बदल दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,

ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 3170 / दिनांक 16/12/15

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.12.15

सरकार के उप सचिव

66

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 17.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–28 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता
श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता
मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि सम्पूर्ण झारखण्ड में राशन कार्ड बनाने में काफी गड़बड़ी हुई है, कार्ड बनाने में बहुतायत लोगों का नाम छूट गया है;	राज्य के सभी जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाभुकों का चयन नये सिरे से किया गया है। लाभुकों का चयन SECC Data 2011 के आधार पर की गई है। इसके लिए अपवर्जन मानकों के आलोक में SECC Data को Short list करते हुये पारिवारिक सूची सभी जिलों को भेजी गई थी जिस पर पारिवारिक विवरणी के सत्यापन एवं ग्राम सभा/वार्ड स्तरीय आम सभा के अनुमोदनोपरान्त लाभुकों की सूची तैयार की गई। तदोपरान्त ऐसी सूचनाएँ मिली कि कई योग्य व्यक्ति वंचित रह गये हैं एवं अयोग्य व्यक्तियों को सम्मिलित कर लिया गया है। संभवतः यह SECC Data के आंतरिक त्रुटियों के कारण हुआ, क्योंकि SECC Database का विश्लेषण कम्प्यूटर के माध्यम से किया गया है एवं इसमें मानवीय भूल की संभावना नगण्य है। उपरोक्त सूचना प्राप्त होने के उपरान्त कोई भी पात्र लाभुक छुट न जाये इसके लिए SECC Data के अलावा अलग से स्वघोषणा पत्र के साथ आवेदन प्राप्त किये गये एवं शिविरों का आयोजन भी किया गया। प्राप्त आवेदनों के जाँचोपरान्त निर्धारित मानकों के आलोक में सत्यापित करते हुए लाभुकों की सूची तैयार की गई। आवेदन पत्र जमा करने हेतु समय सीमा को पहले दिनांक 15.07.2015 एवं बाद में दिनांक 06.09.2015 तक विस्तारित किया गया। तत्पश्चात ही चयनित लाभुक/लाभुक परिवारों के सत्यापन के उपरान्त राशन कार्ड तैयार किया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादन हेतु समय–समय पर समाचार पत्रों, ध्वनिविस्तारक यन्त्रों यथा–लाउड स्पीकर, एफ०एम० व आकाशवाणी के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार भी किया गया है। इस प्रकार पूरे राज्य में कुल 51,70,159 परिवारों के 2,33,40,832 सदस्यों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है जिसमें 39,61,689 परिवार के 1,97,00,229 सदस्य SECC Data 2011 के आधार पर तथा 12,08,470 परिवार के 36,40,603 सदस्य स्वघोषणा पत्र के आधार पर चयनित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त इस आशय की सूचना प्राप्त होने पर कि अभी भी कुछ अहर्त्ता प्राप्त व्यक्ति छुटे हुये है, एवं कुछ गैर अहर्त्ता प्राप्त व्यक्तियों का राशन कार्ड बन गया है, इसके लिए वर्तमान में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिनांक 31.12.2015 तक पात्र लाभुकों द्वारा निकटतम प्रखण्ड/जिला कार्यालय में आवेदन समर्पित करने एवं अपात्र लाभुकों द्वारा अपना राशन कार्ड निकटतम प्रखण्ड/जिला कार्यालय में जमा करने की सूचना नियमित रूप से प्रकाशित की जा रही है। सरकार इस ओर पूर्ण रूप से कटिबद्ध है कि कोई भी पात्र लाभुक इस अधिनियम से वंचित न हो पाये।
(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड राज्य के सभी गाँवो में विशेष कैम्प लगाकर राशन कार्ड बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभाग द्वारा यह निदेश दिया गया है कि छुटे हुये पात्र लाभुकों का आवेदन पत्र प्राप्त कर लिया जाय। सभी आवेदन प्राप्त कर लेने के उपरान्त पुनः विभागीय पोर्टल पर डाटा इन्ट्री कर नया राशन कार्ड निर्गमन किया जा सकेगा। लाभुकों का आवेदन प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित समय सीमा दिनांक 31.12.2015 तक निर्धारित की गई है।

(थॉमस हुंगडुंग)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– खा० प्र० 06–9 (विधान सभा) 89/2015 7512 /राँची, दिनांक 16/12/15

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 2827, वि०स०, दिनांक 11.12.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(67)

श्री फूलचन्द मंडल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या – 08 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के गोविन्दपुर प्रखण्ड अन्तर्गत कंचनपुर पंचायत में खुदिया नदी, घोबाटांड पर एक Wear & Undersluice (बड़ा चेकडैम) का निर्माण वर्ष 1961–62 ई० में हुआ था,	धनबाद जिला के गोविन्दपुर प्रखण्ड अन्तर्गत हीरापुर गाँव के नजदीक खुदिया नदी पर एक वीयर संरचना का निर्माण वर्ष 1971 में हुआ था।
2.	क्या यह बात सही है कि खुदिया सिंचाई योजना अभी बन्द है तथा खण्ड–1 में वर्णित चेकडैम के पास सालो भर काफी मात्रा में जल जमाव रहता है,	खुदिया वीयर योजना से आंशिक सिंचाई किया जा रहा है। 3600 हे० सिंचाई क्षमता के विरूद्ध इस वर्ष खरीफ सिंचाई में 300 हे० सिंचाई किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि खुदिया सिंचाई योजना पर विभाग इन्टेक वेल बनाकर Lift Irrigation योजना के तहत् अगल–बगल के गाँवों को सैकड़ों एकड़ जमीन पर सालों भर सिंचाई सुविधा मुहैया करा सकती है,	खुदिया सिंचाई योजना जीर्ण–क्षीण अवस्था में है इसके पुनर्स्थापन हेतु डी०पी०आर० तैयार किया गया है जो जाँच की प्रक्रिया में है। क्षेत्रीय संतुलन एवं बजटीय उपबंध के आलोक में आगामी वित्तीय वर्षों में इस योजना की स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा। इस स्थल पर Lift Irrigation निर्माण कराने का कोई कार्यक्रम नहीं है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खुदिया सिंचाई योजना पर इंटेक वेल का निर्माण कर ग्रामीणो को सिंचाई सुविधा मुहैया कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्थिति कंडिका–3 में स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–15/2015– 6131 /राँची, दिनांक 16.12.15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 2745 वि०स० दिनांक 09.12.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कॉके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/प्रशासा पदाधिकारी, प्रशासा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/2015

सरकार के उप सचिव (अभियंत्रण)

(68)

झारखण्ड सरकार

<u>खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग</u>

दिनांक 17.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–38 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता
श्री प्रदीप यादव,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता
मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् अबतक राज्य के 70% उपभोक्ताओं को राशन कार्ड नहीं मिला है;	अस्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि कार्ड वितरण में घोर अनियमितायें हुई हैं;	राज्य के सभी जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाभुकों का चयन नये सिरे से किया गया है। लाभुकों का चयन SECC Data 2011 के आधार पर की गई है। इसके लिए अपवर्जन मानको के आलोक में SECC Data को Short list करते हुये पारिवारिक सूची सभी जिलों को भेजी गई थी जिस पर पारिवारिक विवरणी के सत्यापन एवं ग्राम सभा/वार्ड स्तरीय आम सभा के अनुमोदनोपरान्त लाभुकों की सूची तैयार की गई। तदोपरान्त ऐसी सूचनाएँ मिली कि कई योग्य व्यक्ति वंचित रह गये है एवं अयोग्य व्यक्तियों को सम्मिलित कर लिया गया है। संभवतः यह SECC Data के आंतरिक त्रुटियों के कारण हुआ, क्योंकि SECC Database का विश्लेषण कम्प्यूटर के माध्यम से किया गया है एवं इसमें मानवीय भूल की संभावना नगण्य है। उपरोक्त सूचना प्राप्त होने के उपरान्त कोई भी पात्र लाभुक छुट न जावे इसके लिए SECC Data के अलावा अलग से स्वघोषणा पत्र के साथ आवेदन प्राप्त किये गये एवं शिविरों का आयोजन भी किया गया। प्राप्त आवेदनों के जाँचोपरान्त निर्धारित मानको के आलोक में सत्यापित करते हुए लाभुकों की सूची तैयार की गई। आवेदन पत्र जमा करने हेतु समय सीमा को पहले दिनांक 15.07.2015 एवं बाद में दिनांक 06.09.2015 तक विस्तारित किया गया। तत्पश्चात ही चयनित लाभुक/ लाभुक परिवारों के सत्यापन के उपरान्त राशन कार्ड तैयार किया गया है।
(3) क्या यह बात सही है कि इन कारणों से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के परिधि में आने वाले लाभुक इस लाभ से वंचित हो रहे हैं;	इसके अतिरिक्त इस आशय की सूचना प्राप्त होने पर कि अभी भी कुछ अहर्ता प्राप्त व्यक्ति छुटे हुये है, एवं कुछ गैर अहर्ता प्राप्त व्यक्तियों का राशन कार्ड बन गया है, इसके लिए वर्तमान में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिनांक 31.12.2015 तक पात्र लाभुकों द्वारा निकटतम प्रखण्ड/जिला कार्यालय में आवेदन समर्पित करने एवं अपात्र लाभुकों द्वारा अपना राशन कार्ड निकटतम प्रखण्ड/जिला कार्यालय में जमा करने की सूचना नियमित रूप से प्रकाशित की जा रही है। सरकार इस ओर पूर्ण रूप से कटिबद्ध है कि कोई भी पात्र लाभुक इस अधिनियम से वंचित न हो पायें।
(4) अगर उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसे प्रभावी ढंग से लागू करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभाग द्वारा यह निदेश दिया गया है कि छुटे हुये पात्र लाभुकों का आवेदन पत्र प्राप्त कर लिया जाय। सभी आवेदन प्राप्त कर लेने के उपरान्त पुनः विभागीय पोर्टल पर डाटा इन्ट्री कर नया राशन कार्ड निर्गमन किया जा सकेगा। लाभुकों का आवेदन प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित समय सीमा दिनांक 31.12.2015 तक निर्धारित की गई है।

16/12/15

(थॉमस डुंगडुंग)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– खा० प्र० 06–9 (विधान सभा) 91/2015 - 7516 /राँची, दिनांक 16/12/15

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 2850, वि०स०, दिनांक 11.12.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(69)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 17.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–51 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता
श्री दीपक बिरूवा,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि प० सिंहभूम जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सूची में गड़बड़ी के कारण दिनांक 07.12.2015 को उपायुक्त, चाईबासा का घेराव किया गया था;	अस्वीकारात्मक। सदर चाईबासा के वार्ड नम्बर 22 एवं ग्राम–खेडियाटांगर के ग्रामीण जनता द्वारा संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के विरूद्ध शिकायत पत्र दर्ज किया गया।
(2) क्या यह बात सही है कि सूची में गड़बड़ी होने के कारण राशन डीलरों द्वारा लाभुकों के बीच राशन का वितरण सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है;	सूचीबद्ध (अनुमोदित) लाभुकों के बीच राशन वितरण किया जा रहा है।
(3) क्या यह बात सही है कि इन कारणों से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के परिधि में आने वाले लाभुक इस लाभ से वंचित हो रहे हैं;	इस अधिनियम के अन्तर्गत चयनित किये गये लाभुकों को खाद्यान्न का लाभ दिया जा रहा है। वैसे पात्र लाभुक जो छुट गये हैं उन्हें आच्छादन हेतु कार्रवाई की जा रही है।
(4) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में छुटे हुए लाभुकों को अच्छादित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभाग द्वारा यह निदेश दिया गया है कि छुटे हुये पात्र लाभुकों का आवेदन पत्र प्राप्त कर लिया जाय। सभी आवेदन प्राप्त कर लेने के उपरान्त पुनः विभागीय पोर्टल पर डाटा इन्ट्री कर नया राशन कार्ड निर्गमन किया जा सकेगा। लाभुकों का आवेदन प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित समय सीमा दिनांक 31.12.2015 तक निर्धारित की गई है।

ह0/–
(रवि रंजन),
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :– खा० प्र० 06–9 (विधान सभा) 93/2015 7509 /राँची, दिनांक 16/12/15

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 2893, वि०स०, दिनांक 12.12.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(70)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.15 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-01 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिला के मैक्लुस्कीगंज एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के साथ–साथ एंग्लो इंडियन का प्रमुख गाँव है जहाँ प्रत्येक वर्ष सैकड़ों विदेशी पर्यटक आते–जाते है;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि मैक्लुस्कीगंज के अगल–बगल के दर्जनों गाँवों के लोग बिजली की आँख मिचौली से हमेशा परेशान रहते है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। मैक्लुस्कीगंज के आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति 33/11 के0भी0 बचरा सब–स्टेशन से 11 के0भी0 फीडर के माध्यम से की जाती है। 11 के0भी0 फीडर की लम्बाई करीब 85 कि0मी0 है जो जंगल के रास्ते से गुजरती है। बरसात एवं आंधी तुफान में विद्युत आपूर्ति ज्यादा प्रभावित होती है। वर्तमान में विद्युत आपूर्ति सामान्य है।
3. क्या यह बात सही है कि मैक्लुस्कीगंज में कई ख्याति प्राप्त आवासीय विद्यालय है जिसमें विद्युत व्यवस्था ठीक नहीं रहने से बच्चों की पढ़ाई करने में काफी दिक्कत होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मैक्लुस्कीगंज में विद्युत सब–स्टेशन बनवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	33/11 के0भी0 पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर लिया गया है। चूँकि भूमि वन विभाग की है। अतः भूमि हस्तानन्तरण हेतु कार्रवाई की जा रही है। भूमि उपलब्ध होते ही 33/11 के0भी0 विद्युत सब–स्टेशन मैक्लुस्कीगंज का निर्माण कर दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 3155 / दिनांक 16/12/15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.12.15
सरकार के उप सचिव

(71)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 17.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–07 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता
श्री प्रकाश राम,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला में जनवितरण प्रणाली का नया राशन कार्ड बनाने के क्रम में कई पुराने उपभोक्ता जो बी०पी०एल० के अन्तर्गत आते थे या जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है का नया राशन कार्ड नहीं बन पाया है साथ ही ऐसे लोगों का राशन कार्ड बना है जो इसकी अर्हता नहीं रखते हैं;	लातेहार सहित राज्य के सभी जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाभुकों का चयन नये सिरे से किया गया है। लाभुकों का चयन SECC Data 2011 के आधार पर की गई है। इसके लिए अपवर्जन मानको के आलोक में SECC Data को Short list करते हुये परिवारिक सूची सभी जिलों को भेजी गई थी जिस पर परिवारिक विवरणी के सत्यापन एवं ग्राम सभा/वार्ड स्तरीय आम सभा के अनुमोदनोपरान्त लाभुकों की सूची तैयार की गई। तदोपरान्त ऐसी सूचनाएँ मिली कि कई योग्य व्यक्ति वंचित रह गये हैं एवं अयोग्य व्यक्तियों को सम्मिलित कर लिया गया है। संभवतः यह SECC Data के आंतरिक त्रुटियों के कारण हुआ, क्योंकि SECC Database का विश्लेषण कम्प्यूटर के माध्यम से किया गया है एवं इसमें मानवीय भूल की संभावना नगण्य है। उपरोक्त सूचना प्राप्त होने के उपरान्त कोई भी पात्र लाभुक छुट न जाये इसके लिए SECC Data के अलावा अलग से स्वघोषणा पत्र के साथ आवेदन प्राप्त किये गये एवं शिविरों का आयोजन भी किया गया। प्राप्त आवेदनों के जाँचोपरान्त निर्धारित मानको के आलोक में सत्यापित करते हुए लाभुकों की सूची तैयार की गई। आवेदन पत्र जमा करने हेतु समय सीमा को पहले दिनांक 15.07.2015 एवं बाद में दिनांक 06.09.2015 तक विस्तारित किया गया। तत्पश्चात ही चयनित लाभुक/लाभुक परिवारों के सत्यापन के उपरान्त राशन कार्ड तैयार किया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादन हेतु समय–समय पर समाचार पत्रों, ध्वनिविस्तारक यन्त्रों यथा–लाउड स्पीकर, एफ०एम० व आकाशवाणी के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार भी किया गया है। इस प्रकार लातेहार जिला में कुल 1,28,639 परिवारों के 6,63,214 सदस्यों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है जिसमें 1,05,267 परिवार के 5,74,194 सदस्य SECC Data 2011 के आधार पर तथा 23,372 परिवार के 89,020 सदस्य स्वघोषणा पत्र के आधार पर चयनित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त इस आशय की सचुना प्राप्त होने पर कि अभी भी कुछ अहर्त्ता प्राप्त व्यक्ति छुटे हुये है, एवं कुछ गैर अहर्त्ता प्राप्त व्यक्तियों का राशन कार्ड बन गया है, इसके लिए वर्तमान में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिनांक 31.12.2015 तक पात्र लाभुकों द्वारा निकटतम प्रखण्ड/जिला कार्यालय में आवेदन समर्पित करने एवं अपात्र लाभुकों द्वारा अपना राशन कार्ड निकटतम प्रखण्ड/जिला कार्यालय मे जमा करने की सूचना नियमित रूप से प्रकाशित की जा रही है। सरकार इस ओर पूर्ण रूप से कटिबद्ध है कि कोई भी पात्र लाभुक इस अधिनियम से वंचित न हो पाये।
(2) यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पुराने राशन कार्डधारी जो नया राशन कार्ड से वंचित हो गए हैं को यथाशीघ्र राशन कार्ड बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	विभाग द्वारा यह निदेश दिया गया है कि छुटे हुये पात्र लाभुकों का आवेदन पत्र प्राप्त कर लिया जाय। सभी आवेदन प्राप्त कर लेने के उपरान्त पुनः विभागीय पोर्टल पर डाटा इन्ट्री कर नया राशन कार्ड निर्गमन किया जा सकेगा। लाभुकों का आवेदन प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित समय सीमा दिनांक 31.12.2015 तक निर्धारित की गई है।

(थॉमस डुंगडुंग)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– खा० प्र० 06–9 (विधान सभा) 85/2015 – 7511 /राँची, दिनांक 16/12/15

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 2750, वि०स०, दिनांक 09.12.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(72)

श्री जय प्रकाश सिंह भोगता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.15 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-30 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री जय प्रकाश सिंह भोगता,मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि जिला चतरा के प्रखण्ड कान्हाचट्टी में हमेशा लो भोलटेज की समस्या रहती है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि लो भोलटेज के कारण पेयजल आपूर्ति एवं सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न होता है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्तखण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लो भोल्टेज की समस्या का निदान करना चाहती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	वर्तमान में कान्हाचट्टी प्रखण्ड में चतरा से 11 केवी विद्युत आपूर्ति की जाती है। 11केवी लाईन की लम्बाई अधिक होने के कारण एवं अत्याधिक लोड होने के कारण लो भोल्टेज की समस्या है। लो भोल्टेज की समस्या के निदान हेतु 220/132/33 केवी ग्रिड, चोरकारी (इटखोरी) निर्माणाधीन है जिसे पूर्ण करने का लक्ष्य जनवरी 2016 रखी गई है एवं दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत जिला चतरा कान्हाचट्टी प्रखण्ड में 01 अदद 33/11 केवी विद्युत शक्ति उपकेन्द्र का प्रस्ताव भेजा गया था जिसे विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। निविदा हेतु अग्रतर कार्यवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार,

ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 3167 / दिनांक 16/12/15

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.12.15

सरकार के उप सचिव

(79)

श्री बिरंची नारायण, स० वि० स० द्वारा दिनांक 17.12.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं० अ० सू०-56 का उत्तर सामग्री :

क्रम सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य की बोकारो स्टील प्लांट, डी० भी० सी० आदि कंपनियों के ऊपर जल कर मद के अन्तर्गत करोड़ो रूपये की राशि बकाया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त जल कर के बकाया होने से सरकार को लगभग 2680 करोड़ रूपये की राजस्व की हानि हो रही है;	विभिन्न कंपनियों द्वारा सरकार को वाटर टैरिफ का भुगतान नहीं करने के फलस्वरूप लगभग 2931.39 करोड़ रूपये राजस्व की क्षति हो रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त कंपनियों से बकाया पड़ी राशि की वसूली करने एवं इस कार्य हेतु दोषी कंपनियों और जवाबदेह पदाधिकारियों पर समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	1. बकायेदारों में से आठ वैसी कम्पनियाँ है, जिनके विरूद्ध 754.05 करोड़ रूपये का बकाया है। इनके विरूद्ध वसूली हेतु कोई भी कार्रवाई करने पर माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर मामलों के तीव्र निष्पादन हेतु प्रयास किये जा रहे है। 2. शेष राशि TVNL, CTPS, BIADA, दक्षिणी पूर्व रेलवे तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के विरूद्ध लंबित है। इन संस्थानों के साथ निकट भविष्य में एक बैठक आयोजित कर समाधान निकालने का प्रयास किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
<u>जल संसाधन विभाग</u>

ज्ञापांक : 6/ज० सं० वि०-10-अ० सू०-28/2015- 6143 राँची, दिनांक- 16.12.15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड, विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०-2888 वि० स०, दिनांक 12.12.2015 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कांके, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी - 6, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/015

उप सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग

(74)

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या – 42 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के साहेबगंज, राजमहल एवं उधवा प्रखण्डों में सिंचाई सुविधा नहीं होने के कारण कृषक को समस्या का सामना करना पड़ रहा है,	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्डों में गंगा पम्प नहर योजना एवं स्ट्रेट ड्रील डीप बोरिंग की स्थापना नहीं की गयी है,	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्डों में गंगा पम्प नहर योजना एवं स्ट्रेट ड्रील डीप बोरिंग की स्थापना कर स्थानीय कृषक को सिंचाई सुविधा अविलम्ब दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सिंचाई के लिए डीप बोरिंग का कार्य इस विभाग द्वारा नहीं कराया जाता है। गंगा नदी से लिफ्ट द्वारा इन तीन प्रखण्डों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने की योजना का संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार करावाया जायगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–26/2015– 6142 /राँची, दिनांक- 16.12.15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 2886 वि०स० दिनांक 12.12.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कौंके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन,, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/2015

सरकार के उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(75)

श्री विकास कुमार मुंडा, स० वि० स० द्वारा दिनांक–17.12.2015 को पुछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–45 का उत्तर सामग्री।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति आवासीय विद्यालयों /छात्रावासों में खाद्यान्न, पठन–पाठन, उपस्कर–बर्तन, खेलकूद सामग्री एवं सांस्कृतिक, प्रयोगशाला सामग्री आपूर्ति हेतु मध्य विद्यालय के छात्र–छात्राओं के लिए 1030/– रू० एवं उच्च विद्यालय के छात्र–छात्राओं के लिए 1273/– रू० प्रतिमाह की दर से वर्ष– 2005 से लागु है;	अस्वीकारात्मक। यह दर, मात्र भोजन मद हेतु निर्धारित है। पठन–पाठन, उपस्कर–बर्तन, खेलकूद सामग्री एवं प्रयोगशाला सामग्री आपूर्ति हेतु अलग से राशि उपलब्ध करायी जाती है। यह दर विभागीय संकल्प संख्या–2422, दिनांक–10.10.2009 के द्वारा दिनांक–01.11.2009 से लागू किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि इतने कम राशि में आवासीय विद्यालय के छात्र–छात्राओं को सिर्फ भोजन उपलब्ध हो पाता है, पौष्टिक युक्त आहार नहीं;	अस्वीकारात्मक। विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को विभाग द्वारा निर्धारित मेनू के अनुसार पौष्टिक आहार दिया जाता है।
3	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2005 के निर्धारित दर को विगत 10 सालों के बीच में बढ़ती महंगाई के आधार पर संशोधित नहीं किया गया है;	अस्वीकारात्मक। अंतिम बार भोजन दर पुनरीक्षण वर्ष 2009 में किया गया है, जो 01.11.2009 से लागू है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आवासीय विद्यालय के छात्र–छात्राओं के लिए प्रतिमाह मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	भोजन एवं अन्य सामग्री आपूर्ति की दर में बढ़ोतरी से संबंधित प्रस्ताव वर्तमान में सरकार स्तर पर विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार,
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–06/वि० स०–07/2015–क– 3657 राँची, दिनांक– 15/12/15

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–2890 दिनांक–12.12.2015 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.12.15

(आभा कौशी)
सरकार के विशेष सचिव।

(76)

श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.15 को पूछा जानेवाला
अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-31 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला मुख्यालय को हटिया ग्रीड से जोड़कर विद्युत आपूर्ति की जा रही है;	स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद तथा छत्तरपुर अनुमण्डल को हटिया ग्रीड से नहीं जोड़ा गया है, दोनों अनुमण्डल को बी० मोड़ तथा पतरमा ग्रीड (सोननगर बिहार) से विद्युत आपूर्ति होने से 5-6 घंटे ही बिजली की सुविधा मिल पाती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्तमान में छतरपुर में विद्युत आपूर्ति बी० मोड ग्रिड से तथा हुसैनाबाद क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति पचम्बा ग्रिड से होती है। छतरपुर क्षेत्र में औसतन 12 घंटे एवं हुसैनाबाद क्षेत्र में औसतन 16 घंटे से उपर विद्युत आपूर्ति की जा रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिला मुख्यालय की तरह हुसैनाबाद तथा छत्तरपुर अनुमण्डल को हटिया ग्रीड से जोड़कर नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्तमान में 33/11 KV विद्युत शक्ति उपकेन्द्र छतरपुर को डाल्टेनगंज ग्रिड से जोड़ने हेतु प्राक्कलन स्वीकृत है। पोल गाड़ने का कार्य किया जा चुका है। अन्य सामग्री उपलब्ध होने पर मार्च 2016 तक विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से करने का लक्ष्य है। वर्तमान में हुसैनाबाद को डाल्टेनगंज (सूदना) ग्रिड से जोड़ने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हटिया ग्रिड से डाल्टेनगंज ग्रिड को जोड़ दिया गया है तथा डाल्टेनगंज से गढ़वा को जोड़ने हेतु कार्य कराया जा रहा था परन्तु कार्यरत एजेन्सी की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कारण कार्य बाधित है। अतः संबंधित निविदा को रद्द करने की कार्रवाई तथा नयी निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके अलावे गढ़वा से हुसैनाबाद (जपला) ग्रिड को जोड़ने हेतु संचरण लाईन का निर्माण कार्य चल रहा है जिसे मार्च 2016 तक पूरा करने का लक्ष्य है। झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा छतरपुर में 132/33 KV ग्रिड निर्माण हेतु प्रस्ताव बनाया गया है। ग्रिड निर्माण संबंधी कार्य को वित्तीय वर्ष 2016-17 में शुरू कराने की योजना है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 3157 / दिनांक 16/12/15

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.12.15
सरकार के उप सचिव

(77)

श्री रामकुमार पाहन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.15 को पूछा जानेवाला
अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-11 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री रामकुमार पाहन, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत नामकोम प्रखण्ड में स्थित रामपुर डिवीजन के कनीय विद्युत अभियंता श्री दीपक खांती विद्युतीकरण के नाम पर खोजाटोली एवं चायबगान निवासी श्री धमेन्द्र कुमार, श्री रमेश कुमार, श्री दिलीप सिगरीवाल, श्री संतोष झा इत्यादी अनेकों लोगों से अवैध वसुली किया गया है;	नामकुम प्रखण्ड अन्तर्गत खोजाटोली एवं चायबगान में श्री दीपक खांती, कनीय विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, रामपुर के विरूद्ध समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर एवं माननीय स्थानीय विधायक से प्राप्त सूचना के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा जाँच कराई गई है। उक्त मामले की जाँच के दौरान शिकायतकर्त्ता के द्वारा स्पष्ट रूप से लिखित बयान समर्पित किया गया है कि अतिरिक्त ट्रांसफार्मर एवं बिजली तार का कार्य के लंबित रहने के कारण रोष में उनके द्वारा संबंधित कनीय विद्युत अभियंता के विरूद्ध घूस लेने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया था। उन्होंने यह भी कबूल किया है कि उनके द्वारा ही अन्य ग्रामीणों का नाम शिकायतकर्त्ता के रूप में लिख कर दिया गया था। अब उन्हें कोई शिकायत नहीं है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त अभियंता के विरूद्ध लगातार शिकायत करने पर भी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नही की गई है;	कार्यपालक अभियंता द्वारा जाँच में निम्नांकित तथ्यों को भी समाहित किया गया है कि:–संबंधित कनीय अभियंता द्वारा नामकुम थाना में केश नं0 83/2014 दिनांक 26.04.2014 को विद्युत चोरी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी जिसमें आवेदक श्री धर्मेन्द्र कुमार का नाम भी शामिल है। श्री धर्मेन्द्र कुमार द्वारा संबंधित कनीय अभियंता श्री खांती के विरूद्ध अवैध वसूली की शिकायत कलान्तर में दुर्भावनापूर्ण ढंग से दर्ज करायी गई प्रतीत होती है। श्री दीपक खांती, कनीय विद्युत अभियंता के विरूद्ध रिश्वत मांगने जैसे आरोप जाँच में अभी तक प्रमाणित नहीं हुए है। इस कारण अग्रेतर कार्रवाई नहीं की जा सकी है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त अभियंता पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि श्री धर्मेन्द्र कुमार के द्वारा दुर्भावनावश श्री दीपक खांती, कनीय विद्युत अभियंता पर आरोप लगाया गया था। निगम मुख्यालय के आंतरिक निगरानी शाखा द्वारा भी इस मामले में जाँच कराई जा रही है जिसमें अंतिम प्रतिवेदन समर्पित नहीं है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के फलाफल के आलोक में यथोचित कार्रवाई संबंधित कनीय अभियंता के विरूद्ध की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 3171 / दिनांक 16/12/15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.12.15
सरकार के उप सचिव

(78)

श्री बादल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.15 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–48 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री बादल, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि जरमुण्डी प्रखण्ड, सारवाँ प्रखण्ड एवं सोनारायथाड़ी प्रखण्ड के (दुमका–देवघर जिलान्तर्गत) गाँव आज तक अविद्युतीकृत है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2. यदि उक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उन गाँवों में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में विद्युतीकरण करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	1. विद्युत आपूर्ति अंचल, देवघर के अन्तर्गत सारवाँ प्रखण्ड के दो गाँव 1291 स्कीम के तहत् विद्युतीकृत हो चुका है एवं एक गाँव के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है जिसे वित्तीय वर्ष 2015–16 में पूर्ण करने का लक्ष्य है। 2. विद्युत आपूर्ति अंचल, दुमका के अन्तर्गत जरमुंडी प्रखण्ड में चार गाँव 1291 स्कीम के तहत् विद्युतीकृत हो चुका है एवं दो गाँव के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है, जिसे वित्तीय वर्ष 2015–16 में पूर्ण करने का लक्ष्य है। राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण 12वीं योजना के तहत् सारवाँ, सोनारायठाढ़ी एवं जरमुण्डी प्रखण्ड के अन्तर्गत शेष बचे हुए आंशिक विद्युतीकृत गाँव के टोला के विद्युतीकरण हेतु निविदा की प्रक्रिया प्रगति पर है एवं विद्युतीकरण का कार्य वित्तीय वर्ष 2016–17 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 3166 / दिनांक 16/12/15

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16-12-15
सरकार के उप सचिव

(79)

श्री रामकुमार पाहन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या – 15 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत अनगड़ा प्रखण्ड में स्थित गेतलसूद तटबंध पर एक वर्ष पूर्व जल पथ प्रमण्डल, राँची द्वारा सड़क का निर्माण कराया गया है,	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क वर्त्तमान में अत्यंत जर्जर हो गई है,	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। हल्के वाहनों के आवागमन हेतु W.B.M. सतह के उपर 20mm मोटा Premix Carpeting का कार्य वर्ष 2014 में कराया गया था। बड़े वाहनों के आवागमन को रोकने हेतु बैरियर भी लगाया गया था। परन्तु उस बैरियर को स्थानीय लोगों के द्वारा हटा दिया गया जिससे भारी तथा मालवाहक वाहनों का आवागमन इस सड़क पर प्रारम्भ हो गया जिससे सड़क क्षतिग्रस्त हो गई।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क की जाँच कराकर संवेदक एवं संबंधित अभियंता के विरूद्ध कार्रवाई करने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त के आलोक में जाँच कराने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–18/2015– 6134 /राँची, दिनांक- 16.12.15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 2813 वि०स० दिनांक 11.12.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/2015

सरकार के उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(80)

श्री इरफान अंसारी, स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न स0–39 का उत्तर सामग्री निम्नवत है।

क्र0सं0	अल्पसूचित प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि नारायणपुर प्रखण्ड के धर्नपुर एवं मधुपुर, देवघर जिला के अन्तर्गत बड़बाद बी0एड0 कॉलेज में छात्रावास नहीं रहने के कारण बच्चियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है एवं अपने को असुरक्षित महसूस करती हैं ;	देवघर जिला के अन्तर्गत बड़बाद बी0एड0 कॉलेज एक निजी संस्थान है। कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में छात्रावास निर्माण को प्राथमिकता है और उसके संतृप्त होने के पश्चात सरकार द्वारा संचालित महाविद्यालयों/अन्य उच्च विद्यालयों को प्राथमिकता दी जायेगी बशर्ते उनके पास अपनी भूमि हो तथा अन्य संस्थाओं/निजी महाविद्यालयों को छात्रावास स्वीकृत करने के पूर्व उनकी वैधानिक स्थिति को ध्यान में रखना आवश्यक है।
2	यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक, है तो क्या सरकार उपरोक्त दोनों जगहों पर अतिशीघ्र छात्रावास निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक–06/वि0स0–09/2015 3657 रॉंची, दिनांक:– 16/12/15

प्रतिलिपि:– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा रॉंची को उनके पत्रांक–2851 दिनांक–11.12.15 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(नुरुल होदा)
सरकार के उप सचिव

(81)

श्री राधा कृष्ण किशोर, स0 वि0 स0 द्वारा आगामी अधिवेशन में दिनांक–17.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0 सू0 02 से संबंधित प्रश्नोत्तर सामग्री।

क्र सं0	प्रश्न	माननीय मंत्री, कल्याण विभाग का उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश के कुल जनसंख्या का 11 प्रतिशत अनुसूचित जाति की आबादी समाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए है	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जाति के लोगों के विकास के लिए वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16 तक विशेष अंगीभूत योजना अंतर्गत कुल 60 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति विकास निगम के पास उपलब्ध है, जिनके विरूद्ध नवम्बर–2015 तक 40 करोड़ रूपये खर्च नही किये गए	अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम को वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक कुल SCA to SCSP मद में 60.47 करोड़ रूपये आवंटित किया गया है जिसमें से वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक विशेष अंगीभूत योजना में 29.02 करोड़ रूपये अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम द्वारा व्यय किये जा चुके है। शेष राशि के व्यय के लिए निगम द्वारा चलायी जाने वाली विभिन्न योजनाओं हेतु Expression of Interest निकाला जा चुका है तथा शीघ्र ही संस्थाओं के चयन के पश्चात योजना कार्यान्वयन की जायेगी।
3	यदि उपर्युक्त खंडो का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड ii में वर्णित राशि का व्यय नहीं किये जाने का कारण बताने तथा सरकार उनके समाजिक–आर्थिक उत्थान के लिए अनुसूचित जाति कल्याण विकास आयोग के गठन का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–07/वि0 स0 प्र0 (एस0 सी0 डी0 सी0)–21/2015 3655 राँची, दिनांक– 16/12/15

प्रतिलिपि :– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–2748 दिनांक–09.12.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(नुरूल होदा) 16.12.15
सरकार के उप सचिव।

82

श्री कुणाल षड़ंगी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-17.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०–18 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा एंव चाकुलिया प्रखंड में दर्जनों उद्वह सिंचाई योजना वर्षो से रख–रखाव के अभाव में बंद पड़ा हुआ है जिसके कारण सैकड़ों एकड़ जमीन सिंचाई से वंचित है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। बहरागोड़ा में 19 एंव चाकुलिया में 6 अदद् उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण कराया गया था। वर्त्तमान में ये सभी योजनाएं अकार्यरत है।
2	यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन उद्वह सिंचाई योजनाओं का जीर्णोद्धार करके सिंचाई सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, यदि हॉं, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य में बंद पड़ी लिफ्ट इरिगेशन की योजनाओं का सर्वेक्षण कराकर उन्हें पुर्नजीवित करने की कार्य योजना तैयार की जायगी। तदोपरांत निधि की उपलब्धता तथा लाभुक समिति द्वारा रख–रखाव की जिम्मेवारी लेने, विशेषकर बिजली बिल का भुगतान करने, की सहमति देने पर चरणबद्ध तरीके से इन योजनाओं को आगामी वित्तीय वर्षो में चालू कराने की दिशा में कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, रॉंची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–10 अ०सू०–19/2015 6135 रॉंची, दिनांक– 16.12.15

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रॉंची को उनके ज्ञापांक–2814, दिनांक–11.12.15 के क्रम में 20 (बीस) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय कॉंके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, रॉंची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, रॉंची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/2015

उप सचिव(अभि०)
जल संसाधन विभाग, रॉंची।

D:\Dixit\My Documents\2015-16\Vidhan Sabha\Dec_15\6_18_A_19_15_K.S.doc

(83)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 17.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–52 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता
श्री ढुलू महतो,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को अनाज (राशन) वितरण पर काफी कम कमीशन दिया जाता है, जिससे उनका पारिवारिक भरण पोषण सही ढंग से नहीं हो पाता है;	अस्वीकारात्मक। वर्तमान में जन वितरण दुकानदारों को प्रति क्विंटल खाद्यान्न वितरण पर रूपये 45/–कमीशन दिया जाता है, जो कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बढ़कर रू० 80/– हो जायेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें प्रति क्विंटल अनाज पर 2 खाली बोरा (जूट पैकेट) भी प्राप्त होता है जिनका अनुमानित मूल्य रूपये 30/– होता है।
(2) यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को गुजरात व तामिलनाडु के तर्ज पर कमीशन के बजाय मानदेय देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को प्रति क्विंटल खाद्यान्न वितरण पर रूपये 80/– कमीशन दिये जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त उन्हें प्रति क्विंटल अनाज पर 2 खाली बोरा (जूट पैकेट) भी प्राप्त होगा।

ह0/–
(बसंत कुमार दास),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :– खा० प्र० 06–9 (विधान सभा) 94/2015 – 7510 /राँची, दिनांक 16/12/15

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 2892, वि०स०, दिनांक 12.12.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/15

सरकार के उप सचिव।

84

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–17.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–37 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के चिरप्रतिक्षित एवं महत्वकांक्षी योजना कनहर जलाशय योजना का निर्माण नहीं होने के वजह से प्रत्येक वर्ष गढ़वा जिला के किसान अकाल और सुखाड़ के दंश को झेलने के लिए विवश है;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपरोक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में कनहर जलाशय योजना का कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	इस योजना के निर्माण हेतु चयनित परामर्शी द्वारा DPR तैयार किया जा रहा है। DPR प्राप्त होने के पश्चात इसे स्वीकृति हेतु CWC New Delhi को भेजा जाएगा। CWC की स्वीकृति मिलने के पश्चात बजट उपबंध के आलोक में योजना स्वीकृति करने की कारवाई की जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि इस मामले का पर्यवेक्षण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा WP (PIL) No.-4663 of 2009 में पारित न्याय निर्णय के आलोक में किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :–6/ज0स0वि0–10–अ०सू०–25/15– 6141 /राँची, दिनांक– 16.12.15

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक–2845 दिनांक–11.12.2015 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. अभियंता प्रमुख–I जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

85

प्रो० जय प्रकाश वर्मा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.15 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-46 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता प्रो० जय प्रकाश वर्मा, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है विभाग द्वारा गाण्डेय विधानसभा क्षेत्र में 10-16 KVA ट्रांसफार्मर लगाया था;	स्वीकारात्मक है। 10-16 केवीए का ट्रांसफार्मर RGGVY के 11वीं योजना अन्तर्गत DVC द्वारा लगाया गया था।
2. क्या यह बात सही है कि गाण्डेय विधानसभा क्षेत्र को 10 एवं 16 KVA के सभी ट्रांसफार्मर के जले होने से गरीबों के घरों में लम्बे समय से अंधेरा फैला है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार 10-16 KVA का ट्रांसफार्मर बदलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लगे एक फेज के 10 एवं 16 KVA के ट्रांसफार्मर को तीन फेज के 25 KVA ट्रांसफार्मर से बदलने का प्रस्ताव भेजा गया था जिसे विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। निविदा हेतु अग्रतर कार्यवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 3158 / दिनांक 16/12/15

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.12.15
सरकार के उप सचिव

(86)

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.15 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-26 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री अरूप चटर्जी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत निर्माणरत सब-स्टेशन कैलियासोल तथा खड़काबाद में डिशइंसुलेटर, इसटेसेट तथा पावर ट्रांसफार्मर जैसे उपस्करों के आपूर्ति नही होने के कारण कार्य नहीं हो पा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब उपस्करों की आपूर्ति कर कार्य संपादन कराना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	1. विद्युत शक्ति उपकेन्द्र कलियासोल का चहारदिवारी नियंत्रण कक्ष एवं स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण हो चुका है। विद्युत शक्ति उपकेन्द्र हेतु 33 KV लाईन का 339 रेल पोल गाड़े जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। 33 KV लाईन एवं विद्युत शक्ति उपकेन्द्र से संबधित महत्वपूर्ण सामग्री यथा डिस्क/ पोस्ट इन्सुलिएटर/ एम0 एस0 फलैट/ अल्मुनियम पाईप/ पोस्ट इन्सुलेटर स्ट्रक्चर/ पावर ट्रासंफार्मर इत्यादि क्रय की प्रक्रिया में है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में विद्युत शक्ति उपकेन्द्र कलियासोल का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है। 2. विद्युत शक्ति उपकेन्द्र खरिकाबाद का चहारदिवारी नियंत्रण कक्ष का निर्माण हो चुका है। स्ट्रक्चर का कार्य 90 प्रतिशत हो चुका है एवं शेष कार्य प्रगति पर है। 33 KV लाईन का पोल गाड़ने का कार्य प्रगति पर है। NHAI के द्वारा चौड़ीकरण के कारण पोल गाड़ने का कार्य धीमी गति से चल रहा है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में विद्युत शक्ति उपकेन्द्र खरिकाबाद का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 3154 /

दिनांक 16/12/15

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

(87)

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या – 13 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह विधान सभा क्षेत्र के पिरटांड़ प्रखण्ड अन्तर्गत जसपुर के चुंगलो एवं फुलची पंचायत कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ कई मौसमी फसलों की पैदावार होती है.	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक। गिरिडीह विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जसपुर के चुंगलो एवं फुलची पंचायत पीरटांड प्रखण्ड के अन्तर्गत न होकर गिरिडीह प्रखण्ड के अन्तर्गत है जहाँ ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय कृषि है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायत क्षेत्र में बराकर नदी होने के बावजूद सिंचाई का कोई साधन नहीं है जिसके कारण कृषकों को मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है.	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में उक्त विधान सभा क्षेत्र के दोनों पंचायतों में बराकर नदी से सिंचाई की व्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष में ही उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	कृषि योग्य क्षेत्रों में बराकर नदी से सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात् सम्भाव्यता पाये जाने, लाभ–लागत के आकलन, बजटीय उपबंध एवं क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर योजना का निर्माण कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–17/2015– 6133 /राँची, दिनांक–16.12.15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 2812 वि०स० दिनांक 11.12.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कौंके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/प्रशासी पदाधिकारी, प्रशासा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/2015

सरकार के उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.15 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-03 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिले के खेलारी प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम-पंचायत, लपरा तथा मायापुर पंचायत में राजीव गांधी विद्युत योजना का कार्य नहीं कराया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। (क) ग्राम पंचायत लपरा के टोला भट्टी नदी एवं लपरा **(Census Code 2418200)** ग्राम को राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण किया जा चुका है। ग्राम लपरा के टोला जोगिया का विद्युतीकरण बाकी है, जिसका प्राक्कलन **ADP** में स्वीकृत है एवं पोल गाड़ा जा चुका है। कार्य प्रगति पर है। (ख) ग्राम पंचायत मायापुर में ग्राम मायापुर चिनाटांड पूर्व में ही विद्युतीकरण किया जा चुका है। ग्राम मायापुर **(Census Code 2418700)** के टोला सरनाटोली में विद्युतीकरण का कार्य बाकी है, जिसका प्राक्कलन **ADP** में स्वीकृत है एवं पोल गाड़ा जा चुका है। कार्य प्रगति पर है।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पंचायतों के गाँवों में विद्युतीकरण कार्य नहीं होने के कारण वहाँ के छात्र-छात्राओं को पढ़ाई में एवं किसानों को खेती करने में काफी कठिनाई हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोनों पंचायत के गाँवों में विद्युतीकरण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	आंशिक स्वीकारात्मक है। ग्राम पंचायत लपरा का जोगिया टोला एवं मायापुर का सरना टोली का विद्युतीकरण का कार्य जनवरी 2016 तक कर देने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1143 / दिनांक 14/12/15

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16-12-15

सरकार के उप सचिव

(89)

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन एवं मत्स्य प्रभाग)

माननीय सदस्य विधान सभा, श्री जय प्रकाश सिंह भोगता द्वारा दिनांक – 17.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या – अ०सू० – 44 का उत्तर सामग्री :–

क्रमांक	प्रश्नकर्त्ता माननीय सदस्य विधान सभा, श्री जय प्रकाश सिंह भोगता	उत्तरदाता माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची
	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला अन्तर्गत ग्राम – गंधरीया में भेंड़ पालन हेतु 18 सौ एकड़ भूमि पशुपालन विभाग को उपलब्ध है।	अस्वीकारात्मक। गंधरीया में भेंड़ पालन हेतु कोई भूमि उपलब्ध नहीं है।
2	क्या यह बात सही है भेंड़ फार्म हेतु उपलब्ध इस 18 सौ एकड़ भूमि का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है।	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त फार्म में पशु चारा निर्माण जैसे अन्य कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक।

ज्ञापांक :– 6 विविध (अल्पसूचित प्रश्न) 34/2015 1853 दिनांक 16/12/2015

उत्तर की कुल 200 (दो सौ) छाया प्रतियाँ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/12/15

सरकार के उप सचिव

C:\Users\Jharna\Jharna\PC\Desktop\Vidhan Sabha S.Doc

श्री अरुप चटर्जी, स०वि०स० द्वारा दिनांक–17.12.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–21 की उत्तर

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कल्याण विभाग की 52 नई परियोजना में संविदा पर कार्यरत महिला पर्यवेक्षिका–227, सांख्यिकी सहायक–35, लिपिक–सह– टंकक–21 है, जो विगत दस वर्षो से कार्यरत है इन संविदा पर कार्यरत कर्मियों का मासिक मंहगाई भत्ता 107 से 113 कर दिया गया है परन्तु यह बढ़ोतरी राशि नही दिया जा रहा है;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारत्मक है तो क्या सरकार उक्त संविदा कर्मियों के बढ़ोतरी राशि का भुगतान कर इन्हें नियमीतिकरण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	1. 52 नई परियोजनाओं में कार्यरत संविदा कर्मियों का नियमीतिकरण का कोई प्रावधान नही है। 2. 52 नई परियोजनाओं में संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को 72 प्रतिशत मंहगाई भत्ता स्वीकृत है। 72 प्रतिशत से 113 प्रतिशत मंहगाई भत्ता की स्वीकृति नही दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म०स०/अल्पसूचित–618/2015–2731 राँची, दिनांक : 16 दिसम्बर 2015
प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं० –2819 वि० स० दिनांक –11.12.2015 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/2015
(सुधीर कुमार बाड़ा)
सरकार के उप सचिव।

(91)

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या – 34 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत विष्णुगढ़ प्रखंड स्थित जमुनिया नदी पर चैडरा, नवादा, बक्सपूरा एवं बनासो पंचायत के किसानों को सिंचाई कार्य के लिए डैम बनाकर नहर का निर्माण कराया गया है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त नहर दल–दल मिट्टी होने के कारण जहाँ–तहाँ टूट गया है जिससे किसानों का पानी नहीं मिल पा रहा है,	आंशिक स्वीकारात्मक। जमुनियाँ जलाशय योजना से निःसृत नहर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। इस योजना की सिंचाई क्षमता 570 हे० के विरूद्ध वर्ष 2015 के खरीफ सिंचाई के दौरान 280 हे० कृषि योग्य भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विष्णुगढ़ प्रखंड स्थित उक्त नहर पर गार्डवाल का निर्माण एवं मरम्मति कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस योजना के जीर्णोद्धार हेतु प्राक्कलन गठित करने की कार्रवाई की जा रही है। प्राक्कलन तैयार होने के पश्चात् क्षेत्रीय संतुलन एवं बजटीय उपबंध के आलोक में यह योजना स्वीकृत करने की दिशा में कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–22/2015– 6138 /राँची, दिनांक- 16.12.15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 2844 वि०स० दिनांक 11.12.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कौंके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/2015

सरकार के उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(92)

श्री आलमगीर आलम, स0वि0स0 द्वारा पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न–16

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कल्याण सेवा नियमावली,2013 में प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति और प्रोन्नति के प्रावधान में मदरसा और संस्कृत बोर्ड द्वारा जारी स्नातक के समतुल्य डिग्रियों की मान्यता दी गई है,	अस्वीकारात्मक विभागीय अधिसूचना सं0 1774 दिनांक 02–08–13 के द्वारा नियमावली में निम्नरूपेण प्रावधान किया गया था– "किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की कला, विज्ञान, वाणिज्य से स्नातक की डिग्री अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समय–समय पर घोषित समतुल्य डिग्री।" तदोपरान्त अधिसूचना सं0 3532 दिनांक 03–12–15 के द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक का प्रावधान किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2015 में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजे गये संशोधन प्रस्ताव से मदरसा और संस्कृत बोर्ड द्वारा जारी स्नातक के समतुल्य डिग्रियों की मान्यता हटा दी गई है,	उपयुक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कल्याण सेवा नियमावली–2013 के अनुसार ही प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति में मदरसा और संस्कृत बोर्ड द्वारा स्नातक के समतुल्य (शास्त्री, आलिम) डिग्री वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति परीक्षा में शामिल करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखंड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक 2/विविध–(वि0स0)–12/2015/ 3653 रांची, दिनांक 15/12/15

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके ज्ञापांक 2807 दिनांक 11–12–15 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विजय कुमार) 15/12
सरकार के उप सचिव।
15-12-15

(93)

श्री योगेन्द्र प्रसाद, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.15 को पूछा जानेवाला
अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-12 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री योगेन्द्र प्रसाद, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत पेटरवार प्रखण्ड के बुण्डु पंचायत, पेटरवार पंचायत, तेनुघाट तथा गोमिया प्रखण्ड के सरहरिया पंचायत पूर्वी ससबेड़ा, प0 ससबेड़ा पंचायत ये सभी पंचायत ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आते है;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था इन पंचायतों में लागू है;	स्वीकारात्मक है।
3. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में होने के बावजूद भी शहरी क्षेत्र का बिजली बिल भुगतान करने को विवश है;	झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ आदेश 2012-13 के पेज न0 231 में प्रखण्ड के अगल-बगल में स्थापित बाजार-हट्टी के उपभोक्ताओं को शहरी टैरिफ (DS-II श्रेणी) में विपत्रीकरण का प्रावधान है। फलस्वरूप पेटरवार प्रखण्ड के बुण्डु पंचायत, पेटरवार पंचायत, तेनुघाट पंचायत एवं गोमिया प्रखण्ड के सहधरिया पंचायत, पूर्वी सहबेड़ा एवं प0 सहबेड़ा में शहरी टैरिफ में विपत्रीकरण होता है क्योंकि उक्त सभी जगहों पर बाजार स्थापित हो चुके है। तेनुघाट पंचायत में बाजार के अतिरिक्त तेनुघाट कोर्ट भी अवस्थित है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त पंचायतों का बिजली बिल सुधारकर ग्रामीण क्षेत्र की दर पर बिजली बिल लेने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	किसी भी उपभोक्ता का विपत्रीकरण झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के द्वारा निर्धारित टैरिफ में किये गये प्रावधानानुसार ही किया जाता है। अतः उपर्युक्त पंचायतों का बिजली बिल ग्रामीण क्षेत्र के दर से किया जाना नियमानुकूल नही है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 3169 / दिनांक 16/12/15

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.12.15

(94)

श्री मनोज कुमार यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.15 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-09 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री मनोज कुमार यादव, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत चौपारण प्रखंडाधीन ग्राम–सलहारा में अर्ध निर्मित अवस्था में पावर स्टेशन है;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि प्रश्न खंड 1 में वर्णित पावर स्टेशन के निर्माण से लगभग पच्चास गाँवों में सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति होगी एवं जन कल्याण के साथ–साथ सरकार को राजस्व प्राप्त होगी;	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त प्रश्नखण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त अर्धनिर्मित पावर स्टेशन का शीघ्र निर्माण कर संचालन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	अर्धनिर्मित पावर स्टेशन का कार्य शीघ्र आरंभ करते हुए वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 3172 / दिनांक 16/12/15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.12.15
सरकार के उप सचिव

(95)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 17.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–32 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता
श्री डॉ० इरफान अंसारी,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सभी परिवारों को अन्त्योदय एवं लाल कार्ड को वितरण कर दी गई है, साथ ही साथ कुछ सम्पन्न परिवारों को भी वर्णित योजना का लाभ/कार्ड मिल रहा है, जबकी मंत्री ने अपने एक ब्यान में कहा है कि कार्ड वितरण में भारी गड़बड़ियाँ पाई गई है एवं अनेकों गरीब परिवारों का नाम उक्त सूची में छोड़ दिया गया है, संबंधित पदाधिकारी सरकार के निदेश एवं आदेश को नहीं मानते है;	इस आशय की सचूना प्राप्त होने पर कि अभी भी कुछ अहर्त्ता प्राप्त व्यक्ति छुटे हुये है, एवं कुछ गैर अहर्त्ता प्राप्त व्यक्तियों का राशन कार्ड बन गया है, इसके लिए वर्तमान में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिनांक 31.12.2015 तक पात्र लाभुकों द्वारा निकटतम प्रखण्ड/ जिला कार्यालय में आवेदन समर्पित करने एवं अपात्र लाभुकों द्वारा अपना राशन कार्ड निकटतम प्रखण्ड/जिला कार्यालय में जमा करने की सूचना नियमित रूप से प्रकाशित की जा रही है। सरकार इस ओर पूर्ण रूप से कटिबद्ध है कि कोई भी पात्र लाभुक इस अधिनियम से वंचित न हो पाये। अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादन हेतु समय–समय पर समाचार पत्रों, ध्वनिविस्तारक यन्त्रों यथा–लाउड स्पीकर, एफ०एम० व आकाशवाणी के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार भी किया गया है।
(2) यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वैसे पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए समय सीमा के अन्दर कार्ड वितरण में सुधार करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राशन कार्ड निर्माण एवं वितरण की सम्पूर्ण कार्रवाई पूरी हो जाने के पश्चात विभागीय स्तर पर इसकी समीक्षा की जायेगी एवं किसी भी स्तर पर अनियमितता पाये जाने पर जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी।

(थॉमस डुंगडुंग),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– खा० प्र० 06–9 (विधान सभा) 90/2015 7514 /राँची, दिनांक 16/12/15

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 2826, वि०स०, दिनांक 11.12.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(96)

श्री चम्पाई सोरेन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.15 को पूछा जानेवाला

अल्पसुचित प्रश्न संख्या अ०सू०-14 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री चम्पाई सोरेन, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावाँ जिला के राजनगर प्रखण्ड अन्तर्गत बान्दु पंचायत–1. बान्दु टोला, काशीटाण्डी 2. बालूबेडा 3. केशरगडिया, कुडमा पंचायत–1. छोटा मुडियापाडा, हेस्ना पंचायत –1. बन्दोडीह 2. किता टोला सालडीह, केन्दुमुण्डी पंचायत–1. कांकडकोचा, गेर्गरूली पंचायत–1. टुईबासा, डुमरडीहा पंचायत–1. चापड़ा, कुजु पंचायत–महुलाडीहा, धुरीपदा पंचायत–1. मेटो हो टोला, गम्हरिया प्रखण्ड अन्तर्ग डुमरा पंचायत–1. विश्रामपुर 2. मनोहरपुर, डुडरा पंचायत–1. महुलडीहा टोला, डुमराडीह, बुरूडीह पंचायत–1. श्रीधरपुर तथा सरायकेला प्रखण्ड अंतर्गत मुड़कुम पंचायत में 1. सिजुडीह 2. पठानमारा 3. भण्डारीसाई, गोविन्दपुर पंचायत–1. देवगिरिसाई 2. महुलडीह गाँव मे राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युतीकरण कार्य वर्ष 2008–09 में किया गया था ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 वर्णित स्थानों के मे ट्रांसफार्मर खराब पडे है जिससे विद्युत आपूर्ति ठप्प है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
3. क्या यह बात सही है कि राजनगर, सरायकेला, गम्हरिया प्रखण्ड आदिवासी बाहुल क्षेत्र है ;	स्वीकारात्मक है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ट्रांसफार्मर बदलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत 10 KVA एवं 16 KVA के ट्रांसफार्मर को बदल कर उचित व्यवस्था के साथ 25 KVA ट्रांसफार्मर से बदलने हेतु DPR स्वीकृत हो चुकी है। इस योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से वैसे सभी गाँवों में 10 KVA एवं 16 KVA के लगे/ जले ट्रांसफार्मर को दिसम्बर 2016 तक बदल दिये जाने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,

ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 3159 /   दिनांक 16/12/15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.12.15

सरकार के उप सचिव

(97)

श्री अशोक कुमार, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.15 को पूछा जानेवाला
अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-17 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री अशोक कुमार, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत महागामा प्रखण्ड के ग्राम-कलाडुमरिया एवं धोबियाचक, मेहरमा प्रखण्ड के ग्राम-कलाडुमरिया एवं धोबियाचक मेहरमा प्रखण्ड के ग्राम रजौन (संथाली) एवं सिमानपुर, ठाकुरगंगटी प्रखण्ड के सिमानपुर (पहाड़पुर) एवं धरनिचक (मुसहरी) जैसे करीब सात गांव/टोले में राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत लगाए गए ट्रांसफार्मर लगाने के कुछ दिनों के बाद ही जल गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार महागामा, मेहरमा एवं ठाकुरगंगटी प्रखण्ड के सभी गांव/टोले का जले ट्रांसफार्मर को बदल कर विद्युत आपूर्ति कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	विद्युत आपूर्ति अंचल, देवघर के अन्तर्गत गोड्डा जिला का महागामा, मेहरमा एवं ठाकुरगंगटी प्रखण्ड में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत् लगाये गये ट्रांसफार्मर के जलने की विवरणी इस प्रकार है:- (see table below) मेहरमा प्रखण्ड का जले हुए 25 के.वी.ए. का ट्रांसफार्मर विद्युत केन्द्रीय भंडार देवघर में 25 के.वी.ए. का ट्रांसफार्मर उपलब्ध होने की स्थिति में तत्काल बदल दी जायेगी। भारत सरकार की दीन दयाल योजना के अन्तर्गत 10 एवं 16 के.वी.ए. के एक फेज ट्रांसफार्मर को 25 के.वी.ए. के तीन फेज ट्रांसफार्मर से बदलने का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ योजना की स्वीकृति दी है। उक्त संशोधनों के साथ निविदा की प्रक्रिया जनवरी 2016 में प्रारम्भ करने का लक्ष्य है। सभी ट्रांसफार्मर वित्तीय वर्ष 2016-17 में बदलने का लक्ष्य है।

प्रखण्ड	10 के.वी.ए.	16 के.वी.ए.	25 के.वी.ए.
महागामा	12	05	00
मेहरमा	03	02	01
ठाकुरगंगटी	09	03	00
कुल	24	10	01

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 3163 / दिनांक 16/12/15

प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.12.15
सरकार के उप सचिव

(98)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 17.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–24 का उत्तर।

प्रश्नकर्ता
श्रीमती गीता कोड़ा,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 5 नवम्बर, 2015 में छापे शीर्षक "लाभुकों को नहीं मिला अक्टूबर का अनाज" में खाद्य आपूर्ति विभाग ने राज्य भर में कुल 54.71 लाख पी०डी०एस० उपभोक्ता परिवारों में 51.70 लाख आवेदक को वैद्य पाया गया परन्तु अब भी जिलों में जरूरतमंद गरीबों को खाद्य सुरक्षा एवं बी०पी०एल० सूची में शामिल नहीं किया गया है जिससे खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं बी०पी०एल० के तहत् मिलने वाली लाभ से वंचित हो रहे है;	राज्य में माह अक्टूबर 2015 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कर दी गई है। इस अधिनियम के अन्तर्गत 9,17,751 अन्त्योदय परिवार एवं 42,52,408 पूर्व विक्ता प्राप्त गृहस्थ सहित कुल 51,70,159 परिवारों को चयनित करते हुए खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। विदित हो कि पूर्व में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अन्त्योदय, बी०पी०एल०, अतिरिक्त बी०पी०एल० एवं ए०पी०एल० परिवारों को खाद्यान्न का लाभ दिया जाता था। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नये सिरे से लाभुकों को चयन किया गया है एवं खाद्य वितरण की योजनाओ में बी०पी०एल०, अतिरिक्त बी०पी०एल० एवं ए०पी०एल० की श्रेणी को समाप्त कर दी गई है। इस अधिनियम के अन्तर्गत अन्त्योदय परिवार एवं पूर्व विक्ता प्राप्त गृहस्थ को ही खाद्यान्न का लाभ दिये जाने का प्रावधान है।
(2) क्या यह बात सही है कि राशन कार्ड नहीं बंटने से 48458 टन चावल, 14463 टन गेहूँ का उठाव नहीं हाने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् एवं बी०पी०एल० से मिलने वाली अनाज से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है;	अस्वीकारात्मक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चयनित लाभुकों को खाद्यान्न वितरित की जा रही है। अधिनियम के लाभुकों को राशन कार्ड का वितरण करने साथ–साथ श्रेणीवार लाभुकों की सूची सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में उपलब्ध करा दी गई है। यदि किसी कारणवश किसी लाभुक को राशन कार्ड नहीं मिल पाया है, उन्हें सूची के आधार पर खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राशन कार्ड वितरण कर एक कार्ड धारक परिवारों को प्रतिमाह राशन का वितरण करना चाहती है तथा खाद्य सुरक्षा एवं बी०पी०एल० में छुटे हुए गरीब परिवारों को सूची में शामिल करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चयनित लाभुकों को खाद्यान्न वितरित की जा रही है। विभाग द्वारा यह निदेश दिया गया है कि छुटे हुये पात्र लाभुकों का आवेदन पत्र प्राप्त कर लिया जाय। सभी आवेदन प्राप्त कर लेने के उपरान्त पुनः विभागीय पोर्टल पर डाटा इन्ट्री कर नया राशन कार्ड निर्गमन किया जा सकेगा। लाभुकों का आवेदन प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित समय सीमा दिनांक 31.12.2015 तक निर्धारित की गई है।

(थॉमस डुंगडुंग),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– खा० प्र० 06–9 (विधान सभा) 88/2015 – 7515 /राँची, दिनांक – 16.12.15

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 2828, वि०स०, दिनांक 11.12.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(९९)

दिनांक 17.12.2015 को श्री राज सिन्हा, स0 वि0 स0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0 स0 17 की उत्तर सामग्री

क्र	प्रश्न	माननीय मंत्री, कल्याण का उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2003 में केन्द्र सरकार द्वारा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आवासीय विद्यालयों में रहकर पढ़ने वाले छात्र के लिए बिजली उपलब्ध कराने की योजना के तहत 24 करोड़ रूपये आवंटित किये गये थे।	वित्तीय वर्ष 2002–03 में कल्याण विभाग द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता मद में आयवृद्धि एवं आधारभूत योजना के अन्तर्गत सौर उर्जा प्रणाली अधिष्ठापन योजना के लिए कुल 25.35 करोड़ रूपये आवंटित किये गये थे।
2	क्या यह बात सही है कि इसके तहत 65 आवासीय विद्यालय और 161 छात्रावासों में सोलर लाईट की जिम्मेदारी भेल कम्पनी को 2005 में दिया गया	सौर उर्जा प्रणाली अधिष्ठापन योजना अन्तर्गत भारत सरकार के उपक्रम भेल से 63 आवासीय विद्यालय और 82 छात्रावासों में कुल 174 इकाई सौर उर्जा प्रणाली का अधिष्ठापन कराया गया।
3	क्या यह बात सही है यह योजना पूरी तरह असफल रही	अस्वीकारात्मक। सौर उर्जा प्रणाली अधिष्ठापन योजनान्तर्गत निगम द्वारा भारत सरकार के उपक्रम भेल से 63 आवासीय विद्यालय और 82 छात्रावासो में कुल 174 इकाई सौर उर्जा प्रणाली का अधिष्ठापन कराया गया। कराये गये अधिष्ठापन का Third Party Inspection निगम द्वारा भारत सरकार के उपक्रम Projects & Development India Ltd, PDIL Bhawan, A-14, Sector-1 Noida, U.P. से कराया गया। जिसका अंतिम प्रतिवेदन जनवरी 2005 तक निगम को प्राप्त है। उनके द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में सभी अधिष्ठापित सौर उर्जा प्रणाली सही पाये गये है। निगम के पत्रांक 909 दिनांक 19.12.2003 के द्वारा झारखण्ड राज्य के सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी को आदिवासी कल्याण आयुक्त–सह–प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड

		राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम लि0, राँची द्वारा झारखण्ड राज्य के जनजातीय आवासीय विद्यालयों / छात्रावासों में भेल द्वारा अधिष्ठापित सौर उर्जा प्रणाली के देख-भाल एवं सुरक्षा के संबंध में निर्देश देते हुए यह उल्लेख किया गया है कि अधिष्ठापित सौर उर्जा प्रणाली की पूर्ण जिम्मेवारी उनके नियंत्रण अन्तर्गत होगा और इसकी सुरक्षा एवं अन्य संबंधित दायित्व उनकी होगी।
4	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस योजना की असफलता के लिए जिम्मेदारी तय करते हुए राज्य के आवासीय विद्यालयों में इस योजना का लाभ शीघ्र पहुँचाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक- 07/वि0स0प्र0 (सो0 ला0)-22/2015 3656 राँची, दिनांक- 16/12/15

प्रतिलिपि- 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0-2808 दिनांक-11.12.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/12/15

(नुरुल होदा)
सरकार के उप सचिव।

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\K-Mangk\kj.doc

100

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 17.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–20 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता
श्री आलमगीर आलम,
स०वि०स०

उत्तरदात्ता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अक्टूबर 2015 में खाद्यान्न वितरण के लिए पाकुड़ एवं साहेबगंज जिला में जारी किये गये सूची में पहले की सूची में शामिल जरूरतमन्द 2000 अन्त्योदय व बी०पी०एल० लाभुकों को नाम हटा दिया गया है;	साहेबगंज एवं पाकुड़ सहित राज्य के सभी जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाभुकों का चयन नये सिरे से किया गया है। लाभुकों का चयन SECC Data 2011 के आधार पर की गई है। इसके लिए अपवंजन मानको के आलोक में SECC Data को Short list करते हुये परिवारिक सूची सभी जिलों को भेजी गई थी जिस पर परिवारिक विवरणी के सत्यापन एवं ग्राम सभा/वार्ड स्तरीय आम सभा के अनुमोदनोपरान्त लाभुकों की सूची तैयार की गई। तदोपरान्त ऐसी सूचनाएँ मिली कि कई योग्य व्यक्ति वंचित रह गये हैं एवं अयोग्य व्यक्तियों को सम्मिलित कर लिया गया है। संभवतः यह SECC Data के आंतरिक त्रुटियों के कारण हुआ, क्योंकि SECC Database का विश्लेषण कम्प्यूटर के माध्यम से किया गया है एवं इसमें मानवीय भूल की संभावना नगण्य है। उपरोक्त सूचना प्राप्त होने के उपरान्त कोई भी पात्र लाभुक छुट न जाये इसके लिए SECC Data के अलावा अलग से स्वघोषणा पत्र के साथ आवेदन प्राप्त किये गये एवं शिविरों का आयोजन भी किया गया। प्राप्त आवेदनों के जाँचोपरान्त निर्धारित मानकों के आलोक में सत्यापित करते हुए लाभुकों की सूची तैयार की गई। आवेदन पत्र जमा करने हेतु समय सीमा को पहले दिनांक 15.07.2015 एवं बाद में दिनांक 06.09.2015 तक विस्तारित किया गया। तत्पश्चात ही चयनित लाभुक/लाभुक परिवारों के सत्यापन के उपरान्त राशन कार्ड तैयार किया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादन हेतु समय–समय पर समाचार पत्रों, ध्वनिविस्तारक यन्त्रों यथा–लाउड स्पीकर, एफ०एम० व आकाशवाणी के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार भी किया गया है। इस प्रकार साहेबगंज एवं पाकुड़ जिला में क्रमशः कुल 1,87,213 परिवार एवं 1,61,431 परिवार के 8,91,606 सदस्यों एवं 7,55,907 सदस्यों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस आशय की सूचना प्राप्त होने पर कि अभी भी कुछ अहर्ता प्राप्त व्यक्ति छुटे हुये है, एवं कुछ गैर अहर्ता प्राप्त व्यक्तियों का राशन कार्ड बन गया है, इसके लिए वर्तमान में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिनांक 31.12.2015 तक पात्र लाभुकों द्वारा निकटतम प्रखण्ड/जिला कार्यालय में आवेदन समर्पित करने एवं अपात्र लाभुकों द्वारा अपना राशन कार्ड निकटतम प्रखण्ड/जिला कार्यालय में जमा करने की सूचना नियमित रूप से प्रकाशित की जा रही है। सरकार इस ओर पूर्ण रूप से कटिबद्ध है कि कोई भी पात्र लाभुक इस अधिनियम से वंचित न हो पाये।
(2) क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्यान्न वितरण के लिए साहेबगंज एवं पाकुड़ जिला के डीलरों के बीच लाभुकों (कार्ड) के आवंटन में अनियमितता बरती गई;	अस्वीकारात्मक।

(3) यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के खाद्यान्न के लिए जारी सूची में पहले की सूची में शामिल सभी अन्त्योदय व बी०पी०एल० लाभुकों को नाम दर्ज करने तथा डीलरों के बीच लाभुकों के आवंटन में की गई अनियमितता दूर करने का विचार रखती है, हो तो कब तक ?	विभाग द्वारा यह निदेश दिया गया है कि छूटे हुये पात्र लाभुकों का आवेदन पत्र प्राप्त कर लिया जाय। सभी आवेदन प्राप्त कर लेने के उपरान्त पुनः विभागीय पोर्टल पर डाटा इन्ट्री कर नया राशन कार्ड निर्गमन किया जा सकेगा। लाभुकों का आवेदन प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित समय सीमा दिनांक 31.12.2015 तक निर्धारित की गई है। विभाग द्वारा यह निदेश दिया गया है कि लाभुकों को बूथवार जन वितरण प्रणाली दुकान से सम्बद्ध किया जाय। यदि किसी बूथ में कोई दुकान अवस्थित नहीं हो तो उस क्षेत्र में नये दुकान के अनुज्ञप्ति होने तक उस बूथ के सारे लाभुकों को निकटतम दुकान से सम्बद्ध किया जाय।

ह0/–
(रवि रंजन)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :– खा० प्र० 06–9 (विधान सभा) 86/2015 - 7508 /राँची, दिनांक 16/12/15

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 2810, वि०स०, दिनांक 11.12.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.12.15

सरकार के उप सचिव।

(101)

श्री प्रकाश राम, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–17.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–04 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अन्तर्गत चन्दवा प्रखण्ड के बारी पंचायत में रामधुआँ बाँध, सांसग पंचायत में घाघारी सिंचाई योजना, बालूमाथ प्रखण्ड के मारंगलोइया में रामघाट सिंचाई परियोजना का निर्माण तीस वर्ष पहले लघु सिंचाई विभाग से हुआ था, जो अब जीर्णशीर्ण अवस्था में है, साथ ही लातेहार प्रखण्ड के मोंगर ग्राम में निर्मित चरका डैम में कैनाल का निर्माण नहीं हुआ है;	आंशिक स्वीकारात्मक। घाघरी एवं रामघाट सिंचाई योजना का निर्माण अविभाजित बिहार के समय हुआ था।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार एवं कैनाल निर्माण से क्षेत्र के हजारों एकड़ भूमि का सिंचाई सुनिश्चित होगा;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त योजनाओं का जीर्णोद्धार एवं कैनाल निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	घाघरी एवं रामघाट सिंचाई योजना के जिर्णोद्धार हेतु विस्तृत सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सर्वेक्षण के बाद निधि की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर इसके जिर्णोद्धार पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :–6/ज0स0वि0–10–अ०सू०–14/15–6130 /राँची, दिनांक– 16.12.15

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक–2746 दिनांक–09.12.2015 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. अभियंता प्रमुख–I जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/2015
(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

102

श्री जानकी प्रसाद यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–17.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०–36 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है झारखंड राज्य में किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर झारखंड राज्य के विभिन्न स्थानों पर लिफ्ट एरिगेशन की व्यवस्थायें की गई थी जो अपेक्षित रख–रखाव के अभाव में जीर्ण–शीर्ण हो चुकी है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि इस वर्ष अपेक्षित वर्षा नहीं होने के कारण राज्य में धान एवं रवि फसल बर्बाद हो गये है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में मेरे बरकटठा विधान सभा क्षेत्र सहित राज्य के अन्य हिस्सों में बंद पड़ी उक्त योजनाओं को चालू करने एंव आवश्यकतानुसार नये लिफ्ट एरिगेशन लगाना चाहती है, नहीं तो क्यो ?	राज्य में बंद पड़ी लिफ्ट इरिगेशन की योजनाओं का सर्वेक्षण कराकर उन्हें पुर्नजीवित करने की कार्य योजना तैयार की जायगी। तदोपरांत निधि की उपलब्धता तथा लाभुक समिति द्वारा रख–रखाव की जिम्मेवारी लेने, विशेषकर बिजली बिल का भुगतान करने, की सहमति देने पर चरणबद्ध तरीके से इन योजनाओं को आगामी वित्तीय वर्षो में चालू कराने की दिशा में कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–10 अ०सू०–24/2015 6149/ राँची, दिनांक– 16.12.15

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–2847, दिनांक–11.12.15 के क्रम में 20 (बीस) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिवै, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिचांई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/2015

उप सचिव(अभि०)
जल संसाधन विभाग, राँची।

D:\Dinit\My Documents\2015-16\Vidhan Sabha\Doc_15\6_10_A_24_15_Janki p y.doc

(103)

श्री दीपक बिरूवा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.15 को पूछा जानेवाला

अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-53 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री दीपक बिरूवा, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प स0-6/एस-4(वे0पु0)-01/2009-2176/वि0, राँची दिनांक 28.07.2015 द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में अनुबंध में कार्यरत कम्प्यूटर परिचालकों का महंगाई भत्ता 72 प्रतिशत से 113 प्रतिशत किया गया है;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त संकल्प के आलोक में तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड/जरेडा के अधीन कार्यरत अनुबंध कर्मियों के महंगाई भत्ता में वृद्धि की गई है;	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड ऊर्जा विकस निगम के अधीन मुख्यालय में कार्यरत कम्प्यूटर परिचालकों के महंगाई भत्ता में भी बढ़ोत्तरी करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	स्वीकारात्मक है। 1. झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, मुख्यालय के अधीन कार्यरत कम्प्यूटर परिचालकों को झारखण्ड सरकार की पत्रांक 4569 दिनांक 05.07.2002 की कंडिका 07 में निहित चयन की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अतएव वे अनुबंध के आधार पर कार्यरत न होकर एकमुश्त मानदेय पर कार्यरत् है। 2. झारखण्ड सरकार में कार्यरत् कम्प्यूटर परिचालकों के अनुरूप झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड मुख्यालय के अधीन कार्यरत कम्प्यूटर परिचालकों को 72 प्रतिशत से 113 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत करने हेतु समर्पित आवेदन के आलोक में एक समिति गठित की गई है, जो कि इन मामले की पुरी समीक्षा कर रही है ताकि समीक्षोपरांत इस मामले पर शीघ्र निर्णय लिया जा सके।

झारखण्ड सरकार,

ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 3161 /

दिनांक 16/12/15

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.12.15

सरकार के उप सचिव

(104)

श्री विदेश सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.15 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-55 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री विदेश सिंह, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत पांकी, मनातू, तरहसी एवं लेस्लीगंज प्रखंड में राजीव गाँधी विद्युतीकरण का कार्य अधूरा है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अधिक निवास करते है, जिन्है विद्युत के अभाव में काफी असुविधा उत्पन्न हो रही है ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्डों में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों?	आंशिक स्वीकारात्मक। जिन ग्रामों में विद्युतीकरण हो चुका है वहाँ इन दिनों लेस्लीगंज, पांकी एवं पदमा नये विद्युत शक्ति उपकेन्द्र से समुचित विद्युत आपूर्ति की जा रही है। M/s IVRCL के द्वारा छोड़े गये कार्य को पूरा करने हेतु विभागीय स्तर पर आर०ई०सी० (विद्युत मंत्रालय भारत सरकार) द्वारा स्वीकृति मिलने के उपरांत कार्रवाई शुरू की गई है। शेष कार्य पूरा करने हेतु DPR के साथ Material की सूची तैयार कर ली गई है। Material Procurement हेतु निविदा प्रकाशित की जा चुकी है। कार्य पूरा करने का लक्ष्य अगस्त 2016 निर्धारित है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 3156 / दिनांक 16/12/15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.12.15
सरकार के उप सचिव

(105)

श्रीमती निर्मला देवी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या – 27 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिले के केरेडारी में घाघरा जलाशय द्वारा 40 (चालीस) गाँवों की सिंचाई की जाती थी,	आंशिक स्वीकारात्मक। हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड के अन्तर्गत घाघरा जलाशय योजना का निर्माण सन् 1957 ई० में कराया गया था। उक्त जलाशय से 11 (ग्यारह) गाँव पाण्डेकुली, देलतु, पहरा, उफरील इत्यादि के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।
2.	क्या यह बात सही है कि घाघरा जलाशय मिट्टी से भरा होने तथा पानी रिसाव होने से जल संचय नहीं हो पाता है,	आंशिक स्वीकारात्मक। घाघरा जलाशय के डैम क्षेत्र में सिल्ट भर जाने के कारण एवं मैसेनरी डैम से पानी का रिसाव होने के कारण सृजित सिंचाई क्षमता के अनुरूप पटवन हेतु जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वर्ष 2015 खरीफ पटवन की अवधि में 2160 हे० सिंचाई क्षमता के विरूद्ध 500 हे० में सिंचाई उपलब्ध करायी गयी है।
3.	क्या यह बात सही है कि घाघरा जलाशय का नहर पक्का नहीं होने से पानी सही से खेतों तक नहीं पहुँच पाता है,	स्थिति कंडिका–2 में स्पष्ट कर दी गई है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार घाघरा जलाशय का जिर्णोद्धार (सिलिकेटिंग) एवं जेकेटिंग तथा नहर का पक्कीकरण करने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	घाघरा जलाशय योजना के डैम क्षेत्र के जिर्णोद्धार के लिए E.O.I. आमंत्रित किया गया है। उक्त जलाशय के नहरों का पुनरूद्धार कार्य हेतु कुल 19.16 करोड़ रूपये की योजना स्वीकृत है जो निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–21/2015– 6137 /राँची, दिनांक– 16.12.15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 2825 वि०स० दिनांक 11.12.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/2015

सरकार के उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(105)

श्री दुल्लू महतो, मा०स०वि०स०, झारखण्ड विधानसभा द्वारा दिनांक–17.12.15 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–50 की उत्तर सामग्री :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि इस वर्ष वर्षा कम होने के कारण तोपचाँची झील व अन्य जलस्रोत सुख गए हैं, जिससे कतरास समेत पूरे बाघमारा में समय से पहले ही भीषण जल संकट उत्पन्न हो गया है ;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि कोयला कंपनी B.C.C.L. द्वारा प्रतिदिन लाखों गैलन पीट वाटर बहा दिया जाता है, जिसके उचित प्रबंधन से जल संकट का समाधान हो सकता है;	उपलब्ध पीट वाटर के उचित प्रबंधन से काफी हद तक जल संकट का समाधान हो सकता है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार क्षेत्र में जल संकट को देखते हुए पीट वाटर के आपूर्ति का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक नहीं तो क्यों ?	B.C.C.L. द्वारा धर्मा बाँध से पीट वाटर देने के निमित्त फिल्टर बेडों एवं पम्प–मोटरों की मरम्मति करते हुए माडा को पीट वाटर उपलब्ध कराए जाने की स्थिति में कतरास बाजार क्षेत्र को माडा द्वारा जलापूर्ति की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–1 / वि०स० / अ०सू०–50 / 04 / 2015 / न०वि०– 4691 राँची, दिनांक– 16/12/15

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, झारखंड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2887, दिनांक–12.12.15 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/12/15

(राहुल कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

(107)

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.12.15 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-29 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिलान्तर्गत गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति मात्र 6-8 घंटा किया जाता है, विद्युत आपूर्ति हेतु गत वर्ष तत्कालिन ऊर्जा मंत्री द्वारा हटिया ग्रीड से जोड़ने का घोषणा किया गया था ;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के 250 ट्रांसफार्मर जले हुए है, जिसके जलने की तिथि विभाग के पास नहीं होने से प्राथमिकता सूची के अभाव में माँग के विरूद्ध कम आपूर्ति होने से पदाधिकारियों द्वारा ट्रांसफार्मर बेचने की शिकायतें प्राप्त हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। जहाँ तक ट्रांसफार्मर बेचने की शिकायत है, तो इस संबंध में कार्यालय के पास किसी तरह का शिकायत नही प्राप्त हुआ है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (2) में वर्णित जले हुए ट्रांसफार्मर को एक साथ बदलने तथा हटिया ग्रीड से जोड़ने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	गढ़वा रंका विधान सभा क्षेत्र के अधिकतर जले हुए ट्रांसफार्मर 10 एवं 16 KVA के है, जो राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत लगाए गए थे। उक्त जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए 10 एवं 16 KVA के ट्रांसफार्मर के स्थान तक 25 KVA के ट्रांसफार्मर लगाने हेतु प्रस्ताव दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना अर्न्तगत भेजा गया था जिसे विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। निविदा हेतु अग्रतर कार्यवाई की जा रही है। रंका को डाल्टेनगंज (पलामू) ग्रीड से जोड़ने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। इस कार्य को इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य है। जिससे गढ़वा रंका विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में काफी सुधार हो जावेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 3173 / दिनांक 16/12/15

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.12.15
सरकार के उप सचिव

108

श्री प्रो0 स्टीफन मराण्डी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.12.15 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न स0–अ0सू0–54 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के दुमका जिला में आदिवासियों की जनसंख्या की वृद्धि दर वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में जिला के विभिन्न प्रखण्डों के अनेकों गाँव में यथा सरियाहाट प्रखण्ड के बमनी गाँव की आदिवासियों की जनसंख्या 473 से 238, चिउटिया की जनसंख्या 138 से शुन्य आदि की आबादी निरंतर घटती जा रही है अगर कारणों का पता नहीं लगाया गया तो कुछ ही दशकों में आदिवासी विलुप्त हो जायेंगे।	जनगणना निदेशालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सरैयाहाट प्रखण्ड के बमनी (Babhani) गाँव में 2001 में कुल आदिवासी जनसंख्या 473 थी एवं 2011 में कुल जनसंख्या 458 है। इस कमी के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश भेजा गया है। ग्राम च्यूटिया (Chiutia) में 2001 में कुल आदिवासी जनसंख्या 138 दर्शायी गयी है एवं वर्ष 2011 में कुल जनसंख्या शुन्य दर्शायी गयी है। इसके संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी को स्थल जाँच कर वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करके प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया है।
2	यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार आदिवासियों के अस्तित्व की रक्षा हेतु कोई कारगर कदम उठाने की इरादा रखती है ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक–05/वि0स0अ0प्र0–23/15 3681 राँची, दिनांक:– 16/12/15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2889 दिनांक– 12.12.15 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आ0 कौ0 16.12.15
(आभा कौशी)
सरकार के विशेष सचिव।

(109)

श्री कुणाल षड़ंगी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-17.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०-19 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र०	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में काफी संख्या में सरकारी, गैर-सरकारी तालाब, बांध, आहर है, परन्तु इन परम्परागत जलस्रोतों का जीर्णोद्धार नहीं होने के कारण इनकी जल संचयन एंव जल सिंचन की क्षमता का ह्रास हुआ है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए इन सरकारी और गैर सरकारी जल स्रोतो का युद्धस्तर पर जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य में तालाब/आहर/बाँध इत्यादि की मरम्मत हेतु समग्र प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। शीघ्र ही इसे स्वीकृत करने की कार्रवाई की जायगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-6/ज०सं०वि०-10 अ०सू०-20/2015 6136/ राँची, दिनांक- 16.12.15

प्रतिलिपि :-(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-2815, दिनांक-11.12.15 के क्रम में 20 (बीस) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव(अभि०)
जल संसाधन विभाग, राँची।

D:\Dinit\My Documents\2015-16\Vidhan Sabha\Dec_15\6_10_A_20_15_K.S.doc

(110)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 17.12.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–40 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता
श्री बिरंची नारायण,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य भर में केवल 7 माप तौल निरीक्षक ही पदस्थापित हैं, जिनके भरोसे 24 जिलों के माप तौल उपकरणों की जाँच इत्यादि कार्य सम्पादित हो रहे हैं;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य में वर्तमान में कुल 8 माप तौल निरीक्षक पदस्थापित है, जिसमें सात कार्यरत तथा एक निलंबित है।
(2) क्या यह बात सही है कि माप तौल निरीक्षकों की कमी के वजह से जनता परेशान व प्रताड़ित हो रही है और व्यापारियों को समय पर नोक्लीयरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है;	अस्वीकारात्मक। माप तौल निरीक्षकों की कमी से निरीक्षक माप तौल अत्यधिक कार्यभार से ग्रसित है फिर भी व्यापारियों के माप तौल उपकरणों का सत्यापन एवं मुहरांकन का कार्य समय पर किया जाता है तथा किसी भी जनता को जानबूझ कर परेशान व प्रताड़ित नहीं किया जाता है।
(3) क्या यह बात सही है कि एक माप तौल निरीक्षक के जिम्मे कई जिलों का प्रभार रहने के कारण समय पर माप तौल उपकरणों की जाँच नहीं हो पा रही है;	अस्वीकारात्मक। माप एवं तौल उपकरणों का सत्यापन एवं मुहरांकन की अवधि सत्यापन प्रमाण पत्र में अंकित उस वर्ष का त्रैमास होता है। अतः कोई भी व्यापारी अगले वर्ष के संबंधित त्रैमास अर्थात तीन महीने के अवधि के अन्तर्गत अपने माप तौल उपकरण का सत्यापन करा सकता है, जो व्यापारी सत्यापन प्रमाण पत्र में अंकित त्रैमास के अवधि के अन्दर निरीक्षक माप एवं तौल के कार्यालय में आता है, उनके माप तौल उपकरणों का सत्यापन एवं मुहरांकन नियमानुसार किया जाता है। माप तौल निरीक्षक के जिम्मे कई जिलों का प्रभार रहने के बावजूद भी समय पर माप तौल उपकरणों की जाँच की जा रही है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त माप तौल निरीक्षकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	निरीक्षक माप एवं तौल के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु एवं प्रोन्नति के द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु रिक्त पद का रोस्टर क्लेरियेन्स करा लिया गया है तथा सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के माध्यम से झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को भेजे जाने की अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

(थॉमस डुंगडुंग)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– खा० प्र० 06–9 (विधान सभा) 92/2015 7513 /राँची, दिनांक 16/12/15

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 2849, वि0स0, दिनांक 11.12.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।